रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 20 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 29, 1942 शक संवत्) [संख्या 12

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	337–366	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	317–352	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	367–413	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्त

25 फरवरी, 2021 ई0

सं0 282A/दो-1-2021-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2021 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

1—श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आई0ए0एस0 (एस0 सी0 एस0-2008), विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2—श्री केदार नाथ सिंह, आई0ए0एस0 (एस0 सी0 एस0-2012), प्रतीक्षारत।

3—श्री शत्रुघ्न सिंह, आई0ए0एस0 (एस0 सी0 एस0-2012), विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

04 मार्च, 2021 ई0

सं0 723/दो-4-20220—उप निबन्धक (एम0), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 18616/IV-3877/Admin. (A), दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 एवं पत्र संख्या 8625/IV-3877/Admin. (A), दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 के क्रम में एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-250(2) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत सुश्री ''पूर्णिमा सागर'' का विवाहोपरान्त नाम परिवर्तित कर श्रीमती ''पूर्णिमा प्रान्जल'' किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
अरूण कुमार दूबे,
विशेष सचिव।

सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुभाग-1 (अधि0)

तैनाती

18 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1/52757/2021-20-1099/57/2020-1—तात्कालिक प्रभाव से श्री गंगा चरण, अनुभाग अधिकारी, राजस्व विभाग को एतद्द्वारा अनुभाग अधिकारी, आयुष विभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

2—श्री गंगाचरण को निर्देशित किया जाता है कि वह नवीन तैनाती/आवंटित विभाग में तत्काल योगदान प्रस्तुत करें।

3—सम्बन्धित शाखा अधिष्ठान कार्यभार ग्रहण करने वाले अनुभाग अधिकारी को आवंटित अनुभाग में तैनाती हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करते हुये सचिवालय प्रशासन विभाग को सूचित करेंगे।

प्रोन्नति/नियुक्ति

01 मार्च, 2021 ई0

सं0 1/54626/2021-20-1001(099)/11/2020—श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री शिवाजी सिंह, उप सचिव, सहकारिता विभाग को वर्तमान तैनाती के विभाग में ही संयुक्त सचिव के पद [वेतनमान रु0 37,400-67,000 (ग्रेड वेतन रु0 8,700), पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवेल-13] पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री शिवाजी सिंह को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही संयुक्त सचिव के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3—श्री शिवाजी सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति

24 फरवरी, 2021 ई0

सं0 163/सोलह-2-2021—प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता प्रिन्टिंग टेक्नालॉजी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता प्रिन्टिंग टेक्नालॉजी के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400.00 में अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	स्थायी पता	तैनाती की संस्था
1	2	3	4
1	श्री चन्द्र कान्त गुप्ता पुत्र श्री रोशन लाल गुप्ता	म0नं0-184घ, ग्राम व पोस्ट-चांदोपारा, थाना-उतरांव, हण्डिया, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0-212402	राजकीय पॉलिटेक्निक, चन्दौसी, सम्भल
2	सुश्री ममता रानी पुत्री श्री राम बिलास यादव	म0नं0-208, पीली कोठी, जवाहर नगर, हिंसार, हरियाणा-125001	राजकीय पॉलिटेक्निक, चन्दौसी, सम्भल

2—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—सम्बन्धित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सम्बन्धित अभ्यर्थी 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

आज्ञा से,
सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

07 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (462)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-462 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000174918) (ओ0बी0सी0) श्रीमती प्रतीक्षा पत्नी श्री अरूण कुमार, निवासी-ग्राम व पोस्ट-बरथा कायस्थ, जिला-सहारनपुर, उ0प्र0-247231 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कवाल, मुजफ्फरनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुजफ्फरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

संशोधन

06 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 4080/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उ0प्र0 के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2550 (496)/96-आयुष-1-2020-66/2011, दिनांक 03 नवम्बर, 2020 द्वारा श्रीमती प्रियंका प्रजापति पत्नी श्री परमेन्द्र कुमार प्रजापति की नियुक्ति राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भौली, हमीरपुर में चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद के पद पर की गयी।

त्रुटिवश उक्त शासनादेश दिनांक 03 नवम्बर, 2020 में अंकित बिन्दु संख्या (7) एवं पृष्ठांकन में अंकित बिन्दु संख्या 5 पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद तथा पृष्ठांकन के अन्य बिन्दु संख्या 6 पर मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद अंकित हो गया है।

2—अतएव, शासनादेश दिनांक 03 नवम्बर, 2020 में अंकित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद तथा मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद के स्थान पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर तथा मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हमीरपुर पढ़ा जाये।

3—शासनादेश दिनांक 03 नवम्बर, 2020 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव,
अनु सचिव।

नियुक्ति/तैनाती

17 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 2550 (113)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-113 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000308117) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती प्रीति तोमर पत्नी श्री प्रमोद कुमार सिंह, निवासी-जी-1301, सुपरटेक ईको सिटी, सेक्टर-137, नोएडा-201301 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)

सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गागरौल, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (170)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-170 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000215224) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री गोविन्द कुमार वर्मा पुत्र श्री ध्रुप जी वर्मा, निवासी-पुराना बरहज, निकट पुलिस चौकी, मेन रोड, शहर/तहसील-बरहज, जिला-देवरिया, उ0प्र0-274601 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मौनागढ़वां, देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देवरिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (373)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-373 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000218239) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री संदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 बैजनाथ पाण्डेय, निवासी-567ए/79ए, शिवकुटी गोविन्दपुर, सब्जी मंडी तिराहा, तेलियरगंज, प्रयागराज, उ0प्र0-201004 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उरला, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (396)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-396 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000121581) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री अमृता चौबे पुत्री श्री बृजभूषन चौबे, निवासी-जे-12/136, अनुसंधान आवास, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, जगतगंज, जिला-वाराणसी को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जोगिया बुजुर्ग, देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देवरिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (440)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-440 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000252818) (अनुसूचित जनजाति) सुश्री नीतू सिंह पुत्री श्री नागेन्द्र प्रसाद, निवासी-SA, 6/1-2K, सत्संग नगर कालोनी, बेनीपुर, अकथा, पहड़िया, सारनाथ, वाराणसी, उ0प्र0-221007 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सेखुई मिश्र, कुशीनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कुशीनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (475)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-475 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000180362) (ओ0बी0सी0) सुश्री सोनम चौधरी पुत्री श्री इन्द्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम-अलीपुर, तहसील-सरधना, जिला-मेरठ, उ0प्र0-250221 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डिवाई, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (501)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-

11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-501 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000160614) (ओ0बी0सी0) सुश्री निधि वर्मा पुत्री श्री ऊदल सिंह वर्मा, निवासी-2, शिवम विहार, दयाल बाग, जिला-आगरा, उ0प्र0-282005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नसीरपुर, फिरोजाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फिरोजाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

23 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 2550 (80)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-80 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000291969) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री आनन्द पुरी पुत्र श्री रामाश्रय पुरी, निवासी-म0नं0-1, ग्राम-सिकरिया, पोस्ट-मेऊडी, तहसील-मऊ नाथ भंजन, जिला-मऊ, उ0प्र0-221706 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, खालिसपुर, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (82)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-82 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000221474) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री ममता राही पुत्री श्री जटाशंकर, निवासी-VI-A-129, विद्युत विहार कालोनी, शक्तिनगर (N.T.P.C.), जिला-सोनभद्र, उ0प्र0-231222 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पल्हैया, संतरविदास नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (517)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-517 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000301877) (ओ0बी0सी0) श्री अनिल कुमार पुत्र श्री पन्नालाल, निवासी-D-62/4 F-R, सोनिया पोखरा, जिला-वाराणसी, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सदलपुरा, चन्दौली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

25 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 2550 (91)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-91 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000050238) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 वसीम पुत्र श्री मो0 बशीर, निवासी-नियर तकिया मस्जिद, चिमनदुवे, जिला-जालौन, उ0प्र0-285123 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महरानीगंज, रायबरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रायबरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (263)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-263 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000286541) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री ज्योति धामा पुत्री श्री अमर सिंह धामा, निवासी-म0नं0-160, वार्ड नम्बर-17, पट्टी मुंडला, तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत, उ0प्र0-250101 को उत्तर प्रदेश राज्य

चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चितावनपुर, सुलतानपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुलतानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (407)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-407 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000287258) (ओ0बी0सी0) सुश्री पूजा वर्मा पुत्री श्री राम लाल सेठ, निवासी-म0नं0-64, शान्ति भवन, उर्दू बाजार, निकट बारीनाथ मन्दिर, जनपद-जौनपुर, उ0प्र0-222001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कस्तुरवॉ, कुशीनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कुशीनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (459)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-459 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000112379) (ओ0बी0सी0) सुश्री प्रीती कुमारी गुप्ता पुत्री श्री शीतला प्रसाद गुप्ता, निवासी-दुकान नं0-63, जल्लालीपट्टी, गोमती मार्केट, डी0एल0डब्लू0, वाराणसी, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पलहीपट्टी, वाराणसी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (486)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-486 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000043645) (ओ0बी0सी0) श्री प्रवीन गंगवार पुत्र श्री कन्हैया लाल गंगवार, निवासी-AH-17/06/G-3, नीलगिरी इन्क्लेव, वृन्दावन कालोनी, लखनऊ-226014 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पगौना कर्णपुर, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (499)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-499 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000163489) (ओ0बी0सी0) सुश्री शैली मौर्या पुत्री श्री नरेन्द्र प्रसाद, निवासी-SH 5/113-MM-2, प्रताप नगर कालोनी, लक्ष्मणपुर, शिवपुर, जनपद-वाराणसी, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गुलौली, शाहजहाँपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहाँपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

01 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2550 (42)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-42 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000278287) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री विजय कुमार वैश्य पुत्र श्री संगम लाल वैश्य, निवासी-ग्राम-रामगुलाम का पुरवा, पोस्ट-मुकुन्दपुर, होलागढ़, प्रयागराज, उ0प्र0-212503 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10

(प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तिवारीपुर, प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (134)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-134 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000231392) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री कुमारी वन्दना पुत्री श्री गिरिन्द्र मोहन पाठक, निवासी-C/o श्री प्रकाश पाठक, C-325, केन्द्रीय विहार, सेक्टर-56, गुरूग्राम (हरियाणा) को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गाजीपुर नगर, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (227)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-227 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000265219) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री शालिनी यादव पुत्री श्री प्रदीप कुमार यादव, निवासी-109-सी, फ्रैण्ड्स कॉलोनी, जिला-इटावा, उ0प्र0-206001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, परास, कानपुर नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कानपुर नगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (410)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-410 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000215136) (ओ0बी0सी0) सुश्री निहारिका शाक्य पुत्री स्व0 रामनरेश शाक्य, निवासी-4/1094, अम्बेडकरपुरम, आवास विकास नं0-3, कल्याणपुर, कानपुर, उ0प्र0-208017 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भेशिमपुर, देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देवरिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

28 जनवरी, 2021 ई0

सं0 2550 (466)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-466 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000168023) (ओ0बी0सी0) सुश्री साधना वर्मा पुत्री श्री जीवन लाल, एल0आई0जी0 12 सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0-226021 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नगर हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–51 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 29, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

February 19, 2021

No. 118/Admin.(Services)-2021–In exercise of the powers conferred by Rule 27-A of U. P. Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended) and all other powers enabling in this behalf, the High Court is pleased to grant Super Time Pay Scale of Rs. 70,290-1540-76,450 as per G.O. No. 3195/II-4-2003-45(12)/ 1991 T.C., dated 04-08-2003, read with G.O. No. 793/II-4-2010-45(12)/91 T.C.-VI dated 30-04-2010 and No. 1122/II-4-2011-45(12)/91 T.C.-6 dated 18-05-2011 to the following officers of U. P. Higher Judicial Service, from the date mentioned against their names, subject to any Writ Petition pending in High Court/Hon'ble Apex Court in this regard and also subject to final determination of seniority of officers, in case it is not finalized :

Sl. no.	Name of the Officer	Date of grant of Super Time Pay Scale	Vacancy caused by
1	2	3	4
	Smt./Sri.-		
1	Sadhna Chaudhary, (D.O.B.-30-11-1947) (D.O.R.-30-11-2007)	01-03-2004	One supernumerary post created for the Officer in Super Time Pay Scale *w.e.f.* 01-03-2004 to 30-11-2007 vide Govt. O.M. no. 737/II-4-2020-26/2(24)/2005, dated 18-02-2021
2	Surendra Kumar Singh Yadav, (D.O.B.-03-01-1954) (D.O.R.-31-01-2014)	01-08-2010	One supernumerary post created for the Officer in Super Time Pay Scale *w.e.f.* 01-08-2010 to 31-01-2s014 vide Govt. O.M. no. 737/II-4-2020-26/2(24)/2005, dated 18-02-2021

1	2	3	4
	Smt./Sri.-		
3	Prakash, (D.O.B.-25-05-1955) (D.O.R.-31-05-2015)	01-02-2014	One supernumerary post created for the Officer in Super Time Pay Scale *w.e.f.* 01-02-2014 to 31-05-2015 vide Govt. O.M. no. 737/II-4-2020-26/2(24)/2005, dated 18-02-2021.
4	Ram Manohar Narayan Mishra, (D.O.B.-06-11-1964)	01-03-2018	One supernumerary post created for the Officer in Super Time Pay Scale *w.e.f.* 01-03-2018 to 31-08-2019 vide Govt. O.M. no. 737/II-4-2020-26/2(24)/2005, dated 18-02-2021 and thereafter, against the vacancy occurred on 01-09-2019 due to retirement of Sri Nisamuddin.
5	Sant Ram, (D.O.B.-09-06-1960) (D.O.R.-30-06-2020)	22-11-2018	One supernumerary post created for the Officer in Super Time Pay Scale *w.e.f.* 22-11-2018 to 31-08-2019 vide Govt. O.M. no. 737/II-4-2020-26/2(24)/2005, dated 18-02-2021 and thereafter, against the vacancy occurred on 01-09-2019 due to retirement of Sri Chandra Shekhar Prasad.
6	Rajeev Bharti, (D.O.B.-21-01-1971)	01-08-2019	One supernumerary post created for the Officer in Super Time Pay Scale *w.e.f.* 01-08-2019 to 30-09-2019 vide Govt. O.M. no. 737/II-4-2020-26/2(24)/2005, dated 18-02-2021 and thereafter, against the vacancy occurred on 01-09-2019 due to retirement of Sri Anil Kumar Pundir.

February 23, 2021

No. 119/Admin.(Services)-2021–Sri Raj Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Budaun in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Sri Rama Shanker.

No. 120/Admin.(Services)-2021–Sri Rama Shanker, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Budaun for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Smt. Machala Agarwal.

No. 121/Admin.(Services)-2021–Smt. Machala Agarwal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Budaun *vice* Sri Shakti Putra Tomar.

She is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Budaun against the Special court created for trying cases under the said Act.

No. 122/Admin.(Services)-2021–Sri Shakti Putra Tomar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun *vice* Sri Ravi Kant.

He is also appointed under section 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 123/Admin.(Services)-2021–Sri Ravi Kant, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

February 27, 2021

No. 124/Admin.(Services)-2021–On reversion to regular line, Sri Sanjai Veer Singh, Registrar, Central Administrative Tribunal, Mumbai Bench, Mumbai to be Additional District & Sessions Judge, Amroha *w.e.f.* 02.03-2021.

No. 125/Admin.(Services)-2021–Sri Umesh Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Amroha to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Amroha for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act,

1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Swapan Deep Singhal.

No. 126/Admin.(Services)-2021–Sri Swapan Deep Singhal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Amroha to be Additional District & Sessions Judge, Amroha.

No. 127/Admin.(Services)-2021–On reversion to regular line, Sri Surender Kumar, Registrar, Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench, Chandigarh to be Additional District & Sessions Judge, Kairana, Shamli at Kairana w.e.f. 01-03-2021.

March 1, 2021

No. 128/Admin.(Services)-2021–In exercise of the powers conferred under clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Km. Rekha Agnihotri, Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Anti-corruption CBI, Court No. 3, Ghaziabad, till new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 129/Admin.(Services)-2021–In exercise of the powers conferred under clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Rajesh Upadhyay, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna till new the District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 130/Admin.(Services)-2021–In exercise of the powers conferred under clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Narendra Kumar-III, Additional Principal Judge, Family Court, Shahjahanpur till new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

March 3, 2021

No. 131/Admin.(Services)-2021–Pursuant to U. P. Government Notification/Appointment No. 936/Do-4-2020, dated February 11, 2021, Sushri Neha Tripathi, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Prashant Singh.

No. 132/Admin.(Services)-2021–Sri Prashant Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Yugmita Pratap.

No. 133/Admin.(Services)-2021–Sushri Yugmita Pratap, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sitapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

February 18, 2021

No. 156–From the date of taking over charge, Sri Karamjeet Singh Bedi, Bench Secretary Grade-I, (Emp. no. 7012), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Assistant Registrar-cum- Bench Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of P.B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 6,600 (Level-11 Revised as per 7th Pay Commission).

(The promotion, notified above, shall be subject to result or Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Karamjeet Singh Bedi (Emp. no. 7012), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow shall draw salary from High Court, Allahabad as A.R.-cum-B.S. Grade-II).

No. 157–From the date of taking over charge, Sri Tribhuwan Singh (Emp. no. 1528), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum- Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to retirement of Sri S. Hasnain Akhtar.

No. 158–From the date of taking over charge, Sri Pramod Tripathi (Emp. no. 3524), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum- Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 as per 7th Pay Commission, in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Tribhuwan Singh.

No. 159–From the date of taking over charge, Sri Mohd. Imroz Khan (Emp. no. 3525), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum- Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 as per 7th Pay Commission, in the consequential vacancy occurred due to demise of Late Prem Chandra Lal.

No. 160–From the date of taking over charge, Sri Nadim Alam (Emp. no. 3712), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 as per 7th Pay Commission, in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Pramod Tripathi.

No. 161–From the date of taking over charge, Sri Anupam Kumar Pandey (Emp. no. 3689), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 as per 7th Pay Commission, in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Mohd. Imroz Khan.

(All the promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

March 01, 2021

No. 162–From the date of taking over charge, Sri Masarrat Husain (Emp. no. 1532), Assistant Registrar-cum- Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum- Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to retirement of Sri Shahnawaz.

No. 163–From the date of taking over charge, Smt. Monika Kesarwani (Emp. no. 3522), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum- Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 as per 7th Pay Commission, in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Sri Masarrat Husain.

No. 164–From the date of taking over charge, Sri Neeraj Kumar Singh (Emp. no. 3676), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 as per 7th Pay Commission, in the consequential vacancy to be occurred due to promotion of Smt. Monika Kesarwani.

(All the promotions, notified above, shall be subject to result or Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

*March 0*3, 2021

No. 165–From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad is hereby provisionally promoted as Registrar, in the pay scale of Level-13-A, Subject to clearing of interview as per Rule 20(f) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	3140	Sri Ram Prasad

No. 166–From the date of taking over charge, following Deputy Registrar, High Court of Judicature at Allahabad is hereby provisionally promoted as Joint Registrar, in the pay scale of Level-13, Subject to clearing of Training and interview as per Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	3311	Sri Anil Kumar Pandey

No. 167–From the date of taking over charge, following Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad is hereby provisionally promoted as Deputy Registrar, in the pay scale of Level-12, Subject to clearing of interview as per Rule 20(c) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	4011	Sri Shyam Behari

No. 168–From the date of taking over charge, following Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad is hereby provisionally promoted as Assistant Registrar, in the pay scale of Level-11, Subject to clearing of interview as per Rule 20(a) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	6097	Sri Ravi Bhusan Tiwari

No. 169–From the date of taking over charge, following Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Section Officer, in the pay scale of Level-10 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	7397	Mrs. Rashmi Yadav, *Lko.*

(All the promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Uma Shanker-II (Emp. No. 3308), Joint Registrar and Sri Rajesh Kumar Pal (Emp. No. 3431), Deputy Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, who have been drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Further, upon promotion, notified above, Sri Anil Kumar Pandey (Emp. No. 3312) and Sri Shyam Behari (Emp. No. 4011) will draw salary from Lucknow Bench of this Court as Joint Registrar and Deputy Registrar, respectively and Mrs. Rashmi Yadav (Emp. No. 7397) will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad as Section Officer).

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

[ACCOUNTS (C-3) SECTION]

NOTIFICATION

March 06, 2021

No. 170–The following Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III (Retired) is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next Higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	3376	Sri Rakesh Chandra Pandey (*Retired*)	13-05-2020 A.N.

No. 171--The following Chief Documentation Officer-cum-Chief Librarian is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next Higher Grade pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2976	Sri Hemant Kumar Shukla, *Lko.*	05-11-2020

No. 172--The following Deputy Librarians are hereby granted the benefits of Second financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next Higher Grade pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against their name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
		S./Sri.-	
1	7162	Awadhesh Kumar Patel	19-11-2020
2	7167	Vishnu Srivastava	17-11-2020

No. 173--The following Review Officers (Now Section Officers) are hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next Higher Grade pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008, dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
		S./Sri.-	
1	7019	Piyush Kumar Srivastava, *Lko.*	02-12-2016
2	5718	Lok Nath Singh	19-09-2016

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Joint Registrar,
Accounts (C-3).

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

16 फरवरी, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7810/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अनुभव सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, मकान नं0 420, ग्राम-नगलाताशी, पोस्ट-कंकरखेड़ा, मेरठ कैन्ट, उ0प्र0 250001 (अनुक्रमांक 310342) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री अनुभव सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री अनुभव सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री अनुभव सिंह की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री अनुभव सिंह को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री अनुभव सिंह को एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोयडा के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री अनुभव सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7811/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, ग्राम-बैरागी खेड़ा, पोस्ट-पधारा, थाना-औंग, तहसील-बिन्दकी, फतेहपुर, उ0प्र0 212665 (अनुक्रमांक 338609) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री सतेन्द्र सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री सतेन्द्र सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री सतेन्द्र सिंह की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री सतेन्द्र सिंह को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—श्री सतेन्द्र सिंह को एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोयडा के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री सतेन्द्र सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7812/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्रीमती रमा मिश्रा पुत्री श्री बालकृष्ण मिश्रा, निवास—555/422/3बी, बक्सी खुर्द, दारागंज, प्रयागराज, उ0प्र0 211006 (अनुक्रमांक 394831) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्रीमती रमा मिश्रा नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्रीमती रमा मिश्रा का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्रीमती रमा मिश्रा की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्रीमती रमा मिश्रा को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—श्रीमती रमा मिश्रा को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, लखनऊ जोन द्वितीय लखनऊ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्रीमती रमा मिश्रा को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7813/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अनुभा गुलाटी पुत्री श्री संदीप गुलाटी, निवासी-ए-167, गुजरांवाला टाउन पार्ट-1, नार्थ दिल्ली, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन दिल्ली 110009 (अनुक्रमांक 315342) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—सुश्री अनुभा गुलाटी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—सुश्री अनुभा गुलाटी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता

नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री अनुभा गुलाटी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री अनुभा गुलाटी को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री अनुभा गुलाटी को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, गाजियाबाद जोन द्वितीय गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री अनुभा गुलाटी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7814/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अरुण कक्कड़ पुत्र श्री महेश कुमार कक्कड़, मकान नं0 8/32, सिनेमा रोड, विकास नगर, जिला-देहरादून (उत्तराखण्ड) पिन-248198 (अनुक्रमांक 012922) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री अरुण कक्कड नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री अरुण कक्कड का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री अरुण कक्कड की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री अरुण कक्कड को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री अरुण कक्कड को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री अरुण कक्कड को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

23 फरवरी, 2021 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7914/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री रुपाली श्रीवास्तव पुत्री श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव निवासी-ओमपुरम

कालोनी आचार्य नरेन्द्र देव स्टेशन रोड के सामने रीडगंज, थाना-कोतवाली सदर अयोध्या, उ0प्र0 224001 (अनुक्रमांक 344490) को वाणिज्यकर अधिकारी के पदपर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री रुपाली श्रीवास्तव नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री रुपाली श्रीवास्तव का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री रुपाली श्रीवास्तव की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री रुपाली श्रीवास्तव को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री रुपाली श्रीवास्तव को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्यकर कर, लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री रुपाली श्रीवास्तव को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7915/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री प्रतिष्ठा सिंह पुत्री श्री इन्द्रासन सिंह, निवासी ग्राम-अल्देमऊ, पो0-सरौदा, मऊ उ0प्र0 276129 (अनुक्रमांक 170793) को वाणिज्यकर अधिकारी के पदपर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री प्रतिष्ठा सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री प्रतिष्ठा सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री प्रतिष्ठा सिंह की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री प्रतिष्ठा सिंह को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री प्रतिष्ठा सिंह को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, लखनऊ जोन द्वितीय लखनऊ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री प्रतिष्ठा सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं

होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7916/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री सौम्या पाण्डेय पुत्री श्री हरीराम पाण्डेय, निवासी-ग्राम-कांटा दुबे, पो0-घेचुऑ बखीरा, जिला-सन्तकबीरनगर उ0प्र0 272199 (अनुक्रमांक 230949) को वाणिज्यकर अधिकारी के पदपर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री सौम्या पाण्डेय नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री सौम्या पाण्डेय का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री सौम्या पाण्डेय की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री सौम्या पाण्डेय को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री सौम्या पाण्डेय को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, प्रयागराज जोन प्रयागराज के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री सौम्या पाण्डेय को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7917/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री शुचि राय पुत्री श्री शिवबली राय, 11 मेन रोड़ सोनभद्र उ0प्र0 231225 (अनुक्रमांक 032068) को वाणिज्यकर अधिकारी के पदपर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री शुचि राय नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री शुचि राय का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री शुचि राय की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री शुचि राय को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री शुचि राय को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

शुचि राय को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7918/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री प्रीती तिवारी पुत्री श्री उमेश कुमार तिवारी, निवासी-537, विजय लक्ष्मीनगर, सीतापुर उ0प्र0 261001 (अनुक्रमांक 066333) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री प्रीती तिवारी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री प्रीती तिवारी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री प्रीती तिवारी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री प्रीती तिवारी को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री प्रीती तिवारी को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, लखनऊ जोन द्वितीय लखनऊ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

प्रीती तिवारी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7919/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री उत्तम कुमार तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी, निवासी-180, कम्पनी गार्डेन के पीछे, दाहिलामऊ नार्थ, प्रतापगढ़ उ0प्र0 230001 (अनुक्रमांक 262026) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री उत्तम कुमार तिवारी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री उत्तम कुमार तिवारी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री उत्तम कुमार तिवारी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री उत्तम कुमार तिवारी को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री उत्तम कुमार तिवारी को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री उत्तम कुमार तिवारी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7920/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अरीबा सगीर पुत्री श्री मोहम्मद सगीर हुसैन, निवासी-जी-72/2, शाहीनबाग, नियर कालिन्दी कुंज, साउथ ईस्ट दिल्ली 110025 (अनुक्रमांक 080282) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री अरीबा सगीर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री अरीबा सगीर का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री अरीबा सगीर की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री अरीबा सगीर को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री अरीबा सगीर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री अरीबा सगीर को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7921/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रतीक गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी-47, चांगरोड, चरखी दादरी, हरियाणा 127022 (अनुक्रमांक 219993) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री प्रतीक गुप्ता नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री प्रतीक गुप्ता का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री प्रतीक गुप्ता की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री प्रतीक गुप्ता को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—श्री प्रतीक गुप्ता को एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोयडा के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री प्रतीक गुप्ता को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7822/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री अनूप शुक्ल पुत्र श्री राजेन्द्र शुक्ल, ग्राम-खण्डौली, पोस्ट-तौधिकपुर, थाना-हलियापुर सुल्तानपुर उ0प्र0 227815 (अनुक्रमांक 362962) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है—

1—श्री अनूप शुक्ल नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2—श्री अनूप शुक्ल का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3—श्री अनूप शुक्ल की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4—श्री अनूप शुक्ल को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5—श्री अनूप शुक्ल को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, अयोध्या जोन अयोध्या के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री अनूप शुक्ल को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7923/वाणिज्य कर—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री दिलबाग सिंह, निवासी-म0न0-2115, अर्बन स्टेट, जीन्द

हरियाणा 126102 (अनुक्रमांक 133054) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री प्रदीप कुमार नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री प्रदीप कुमार का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री प्रदीप कुमार की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री प्रदीप कुमार को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री प्रदीप कुमार को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, मेरठ जोन मेरठ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री प्रदीप कुमार को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7924/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अंशु राघव पुत्र श्री कुशल पाल सिंह, निवासी-ग्राम-औरंगपुर सिलैटा, पो0–ऐंचोली, थाना–वनियाढेर सम्भल (भीमनगर) उ0प्र0 202414 (अनुक्रमांक 345042) को वाणिज्यकर अधिकारी के पदपर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री अंशु राघव नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री अंशु राघव का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री अंशु राघव की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री अंशु राघव को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री अंशु राघव को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री अंशु राघव को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय

में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7925/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री शुभम सिंह पुत्र श्री डाल चन्द्र, निवासी-ग्राम-सिंहपुर सानी, जनपद सम्भल (भीमनगर) उ0प्र0 244302 (अनुक्रमांक 061508) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री शुभम सिंह नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री शुभम सिंह का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री शुभम सिंह की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री शुभम सिंह को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री शुभम सिंह को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री शुभम सिंह को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7926/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री शिल्पी सिंह चाहर पुत्री श्री अर्जुन सिंह चाहर, निवासी-53 राजनगर ए0टी0वी0 के पीछे महोली रोड मथुरा उ0प्र0 281001 (अनुक्रमांक 376308) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री शिल्पी सिंह चाहर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री शिल्पी सिंह चाहर का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री शिल्पी सिंह चाहर की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री शिल्पी सिंह चाहर को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री शिल्पी सिंह चाहर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोयडा के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री शिल्पी सिंह चाहर को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7927/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री शिल्पी यादव पुत्री श्री अतुल कुमार यादव, निवासी-ग्राम-बछैया पो0-कटघरा पट्टी तहसील/थाना-कादीपुर सुल्तानुपर 228145 (अनुक्रमांक 375028) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री शिल्पी यादव नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री शिल्पी यादव का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री शिल्पी यादव की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री शिल्पी यादव को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री शिल्पी यादव को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री शिल्पी यादव को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7928/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री आराधना निरंजन पुत्री श्री आर0के0 निरंजन, निवासी-132 सी0पी0 मिशन कम्पाउन्ड नियर एस0 पब्लिक स्कूल झॉसी उ0प्र0 284001 (अनुक्रमांक 130582) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री आराधना निरंजन नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री आराधना निरंजन का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री आराधना निरंजन की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री आराधना निरंजन को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री आराधना निरंजन को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, गाजियाबाद जोन द्वितीय गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री आराधना निरंजन को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7929/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री शिव कान्त सिंह यादव पुत्र श्री अम्बिका सिंह यादव, निवासी-म0न0-10अ ग्राम/पो0-पारा, थाना-नोनहरा जिला-गाजीपुर उ0प्र0 233303 (अनुक्रमांक 348628) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री शिव कान्त सिंह यादव नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री शिव कान्त सिंह यादव का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री शिव कान्त सिंह यादव की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री शिव कान्त सिंह यादव को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री शिव कान्त सिंह यादव को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, वाराणसी जोन प्रथम वाराणसी के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री शिव कान्त सिंह यादव को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7930/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के

परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री संदीप कुमार गोंड पुत्र श्री अवधेश प्रसाद गोंड, निवासी-ग्राम-जोकवा बुजर्ग, पो0-गुरवालिया, तहसील कसया, कुशीनगर उ0प्र0 274401 (अनुक्रमांक 113430) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री संदीप कुमार गोंड नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री संदीप कुमार गोंड का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री संदीप कुमार गोंड की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री संदीप कुमार गोंड को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री संदीप कुमार गोंड को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री संदीप कुमार गोंड को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7931/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री उपेन्द्र पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, निवासी-मुरारी सिंह, तुलसा भवन, गली नं0-ए-12, आदर्श नगर नजीबाबाद, बिजनौर उ0प्र0 246763 (अनुक्रमांक 305026) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री उपेन्द्र नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री उपेन्द्र का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री उपेन्द्र की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री उपेन्द्र को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री उपेन्द्र को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, गाजियाबाद जोन द्वितीय गाजियाबाद के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री उपेन्द्र को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7932/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री संदीप कुमार सत्यार्थी पुत्र श्री रामकयास सत्यार्थी, निवासी-आजाद नगर वार्ड न0-11, नगर पालिका परिषद्, महाराजगंज उ0प्र0 273303 (अनुक्रमांक 100470) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री संदीप कुमार सत्यार्थी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री संदीप कुमार सत्यार्थी का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री संदीप कुमार सत्यार्थी की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री संदीप कुमार सत्यार्थी को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री संदीप कुमार सत्यार्थी को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री संदीप कुमार सत्यार्थी को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2018 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-2021/7933/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री कामिनी गौतम पुत्री श्री राम चरन गौतम, निवासी-1641/1, निकट सेंगर स्टील वर्क्स महाराणा प्रताप नगर पिछोर, झॉसी उ0प्र0 284128 (अनुक्रमांक 581917) को वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800.00 + ग्रेड पे रु0 4,800.00 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–सुश्री कामिनी गौतम नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–सुश्री कामिनी गौतम का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता

नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–सुश्री कामिनी गौतम की सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्ते भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–सुश्री कामिनी गौतम को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–सुश्री कामिनी गौतम को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्यकर कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोयडा के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

सुश्री कामिनी गौतम को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नहीं होते है, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

13 अगस्त, 2020 ई0

सं0 5018/अ0जि0भू0अ0/आगरा–भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि 43वीं वाहिनी पी0ए0सी0 एटा के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र जनपद एटा, तहसील एटा, परगना एटा, सकीट ग्राम रारपट्टी में कुल 0.232 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्यन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित द्वारा दिनांक 30 मई, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

(i) 43वीं वाहिनी पी0ए0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र एटा के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ii) इस परियोजना के निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल .....X..... परिवार के विस्थापित होने की संभावना है एक विस्थापन के लिये अपरिहार्य निम्नवत् है–

.....X.....

.....X.....

.....X.....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट नं0	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	रारपट्टी	987	0.232

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है :

ह0 (अस्पष्ट),
राज्य सरकार/कलेक्टर, एटा।

NOTIFICATION

August 13, 2020

No. 5018/अ0 जि0 भू0 अ0/आगरा–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.232 hectares of land is required in the Village-Rarpatti, Pargana-Etah Sakeet, Tehsil-Etah, District Etah is required for public purpose, namely, Project 43rd Vahini P.A.C. Prashikshan Kendra, Etah.

1. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 30-05-2019.

2. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows :

(i) Land is acquired for public purpose namely Project 43rd Vahini P.A.C. Etah.

(ii) There is no any other entry effect construction of this Project.

3. A total of ……x…….family are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under :

Deputy Collector/Assistant Collector……..is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose:

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Rarpatti	987	0.232

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 60 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

7. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
State Government/Collector, Etah.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

अधिसूचना

06 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1332–अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, मेरठ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सिंचाई परियोजना हेतु जिला बिजनौर, तहसील चान्दपुर, परगना दारानगर, ग्राम निजावतपुरा बी0ए0 में स्थित 1.7060 हेक्टेयर, ग्राम रामपुर वीरान, परगना दारानगर में स्थित 0.8930 हेक्टेयर एवं ग्राम जुझारपुरा उर्फ नाईपुरा, परगना चान्दपुर में स्थित 0.4850 हेक्टेयर, कुल 3.0840 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 842, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 07 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित की थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	बिजनौर	दारानगर	निजावतपुर	909	0.8040
			बी0ए0	940	0.9020
				योग . .	**1.7060**
	बिजनौर	दारानगर	रामपुर वीरान	148	0.2170
				163	0.6760
				योग . .	**0.8930**
	चान्दपुर	चान्दपुर	जुझारपुरा उर्फ नाईपुरा	211	0.0320
				212	0.0060
				187	0.0450
				186	0.0450
				184	0.1390
				179	0.1140
				320	0.1040
				योग . .	**0.4850**
				कुल योग . .	**3.0840**

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 1333—अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड 2 हरिद्वार के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सिंचाई परियोजना हेतु जिला बिजनौर, तहसील चान्दपुर, परगना बास्टा, ग्राम बिरमपुर में स्थित 1.510 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 822, दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 28 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित की थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	चॉदपुर	बास्टा	बिरमपुर	36/1	1.0120
				76	0.4980
				योग . .	**1.5100**

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिला बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

12 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1370–अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-3, अमरोहा के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण परियोजना हेतु जिला बिजनौर, तहसील चान्दपुर, परगना बास्टा, ग्राम चौधेंड़ी में स्थित 1.9169 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 823, दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 28 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित की थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	चॉदपुर	बास्टा	चौंधेडी	240/1	0.4385
				240/2	1.4784
				योग . .	**1.9169**

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल जिला बिजनौर के नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

23 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1441/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-5, बिजनौर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मुख्य नहर के निर्माण हेतु जनपद बिजनौर, तहसील चांदपुर, परगना बास्टा, ग्राम गन्धौरी में कुल 1.1734 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–भूमि अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

3–अतः राज्यपाल/समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बिजनौर	चॉदपुर	बास्टा	गन्धौरी	38/1	0.7510
				57/3	0.4224
				योग . .	**1.1734**

4–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल/समुचित सरकार कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिला कलेक्टर, बिजनौर।

कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

15 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1168/आठ-17/2020-22–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 तथा शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासना देश संख्या 745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश सं0-1131/आठ-1-17-08 विविध/2016 दिनांक 11 जुलाई, 2018 तथा उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0-1, लखनऊ की अधिसूचना सं0-688/एक-1-2020-20(1)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुए मैं, अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ निम्न अनुसूची के सतम्भ-6,7 व 8 (क्रमशः खसरा संख्या/क्षेत्रफल विवरण) में उल्लिखित ग्राम सैदपुर हुसैनपुर डीलना, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद की 0.840 हे0 सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या-809/सात-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2021 दिनांक 04 फरवरी, 2021 में की गई संस्तुति को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि को प्रतिकर की धनराशि रु0 01,17,60,000.00 (रु0 एक करोड, संत्रह लाख साठ हजार मात्र) तथा उक्त भूमि का पंजीकृत मूल्य अंकन रु0 623.00 कुल मूल्य रु0 01,17,60,623.00 (रु0 एक करोड़ सत्रह लाख साठ हजार छः सौ तेईस मात्र) जमा किये जाने तथा उक्त भूमि के बदले ग्राम सैदपुर हुसैनपुर डीलना परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या-62 मि रकबा 0,0840 हे0 (बंजर श्रेणी-5-3-ड) को आरक्षित करने की शर्त के अधीन दिल्ली-मेरठ- एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्रान फील्ड संरेखन (पैकेज-4) डासना से मेरठ के निर्माण के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं0	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुनर्ग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
गाजियाबाद	मोदीनगर	जलालाबाद	सैदपुर हुसैनपुर डीलना	सैदपुर हुसैनपुर डीलना	1217	0.0100	नाली	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्रीन फील्ड संरेखन (पैकेज-4) के निर्माण हेतु।
					1240	0.02500	रास्ता	
					1241	0.0400	नाली	
					1244	0.0050	चकमार्ग	
					1245	0.0040	नाली	
				योग. .		**0.0840**		

अनीता सी0 मेश्राम,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

16 फरवरी, 2021 ई0

सं0 2015/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पलका, परगना महोबा, तहसील व जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 342-मि0 रकवा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,76,800.00 (एक लाख छिहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूँ/पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न्वत है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		पलका	342-मि0	0.160	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 2016/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम कैमहा, परगना महोबा, तहसील व जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 298-मि0 रकवा 0.243 हे0 मालियत रु0 1,61,595.00 (एक लाख इकसठ हजार पांच सौ पंचानवे रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूँ/पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न्वत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		कैमहा	298-मि0	0.243	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 2017/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम महेवा, परगना महोबा, तहसील व जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 446-मि0 रकवा 0.166 हे0 मालियत रु0 1,10,390.00 (एक लाख दस हजार तीन सौ नब्बे रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूँ/पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न्वत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		महेवा	446-मि0	0.166	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 2018/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम नौसारा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 130-मि0 रकवा 0.138 हे0 मालियत रु0 1,27,650.00 (एक लाख सत्ताईस हजार छः सौ पचास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूँ/पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न्वत है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी		नौसारा	130-मि0	0.138	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 2019/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम लिधौराखुर्द, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 183-मि0 रकवा 0.093 हे0 मालियत रु0 59,520.00 (उन्सठ हजार पांच सौ बीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूँ/पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त

प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव / मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़		लिधौरा खुर्द	183-मि0	0.093	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 2020 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण / 2020-21–शासनादेश संख्या 258 / रा0-1 / 16 (1) / 73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740 / एक-1-2016-20 (5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव / मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	बैदों	707	0.174	श्रेणी-5-3ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर)	अतिरिक्त ऊर्जा विभाग उ0 प्र0 शासन के नाम से सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु
					1152	0.113		
					1155	0.186		
					1157	0.077		
					1158	0.057		
					1160 / 2 / 2	0.200		
						0.807		
					1148	10.117 में से 9.754	श्रेणी-6-4 जो अन्य कारणों से अकृषित हो (ऊसर)	
					1151	5.641		
					1156	0.028		
					1160ग	8.337		
					1161	6.288		
					1162 ख	2.428		
						32.476		
					कुल 12 किता	33.283		

17 फरवरी, 2021 ई0

सं0 2021/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) तथा राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20 (5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, कुलपहाड़ की आख्या दिनांक 29 जनवरी, 2021 व अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई एवं नोडल अधिकारी एस0डब्लू0एस0एम0 महोबा की आख्या दिनांक 29 जनवरी, 2021 के क्रम में श्रेणी-6(4) जो अन्य कारणों से अकृषक हो (पठवा) के ओ0एच0टी0 के लिये उपयुक्त होने, इस हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न होने एवं लोगों को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त 6(4) पठवा के खाते की सुरक्षित भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य पाये जाने एवं उक्त संस्तुति के क्रम में मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सिगौन (ग्राम पंचायत सीगौन), तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा स्थित भूमि राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने के कारण लोक उपयोगिता के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के ओ0एच0टी0 की स्थापना हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

ग्राम-सीगौन की खतौनी सन् 1426 से 1413 फसली तक।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के OHT की स्थापना हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम सभा के खाते की अन्य भूमि जिससे सुरक्षित खाते की भूमि की प्रतिपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					हे0	हे0	हे0					हे0	हे0	हे0
1	6-4 जो अन्य कारणों से आकृषिक हो	पठवा	545	594	0.603	0.270	0.333	5.3 ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बंजर	521	82/3	0.424	0.270	0.154

सं0 2031/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—शासनादेश संख्या 258/रा0-1-16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	भटीपुरा	602	0.142	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं आवास निर्माण हेतु।

19 फरवरी, 2021 ई0

सं0 2062/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सीगौन, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 593 रकवा 0.198 हे0 में से रकवा 0.090 हे0 व गाटा संख्या 594-मि0 रकवा 0.270 हे0, कुल दो किता रकवा 0.360 हे0, मालियत रु0 3,34,800.00 (तीन लाख चौंतीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूँ/पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न्वत है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण(प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		सीगौन	593	हेक्टेयर 0.198 में से 0.090	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					594-मि0	0.270		
						0.360		

22 फरवरी, 2021 ई0

सं0 2106/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—शासनादेश संख्या 258/रा0-1-16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	महोबा	2408/8	हेक्टेयर 0.405 में से 800 वर्ग मी0	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राजकीय सम्प्रेषण गृह (किशोर) निर्माण हेतु।

सं0 2107/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—शासनादेश संख्या 258/रा0-1-16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	महोबा	2408/30	0.312 में से 1500 वर्ग मी0	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राजकीय महिला शरणालय की स्थापना हेतु।

सं0 2108/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—शासनादेश संख्या 258/रा0-1-16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	मौदहा	सिरसीखुर्द	366-मि0	3.504 में से 0.900	श्रेणी 5-1 कृषि योग्य भूमि-नवीन परती (बंजर)	पशुधन विभाग को गोवंश, वन्य विहार की स्थापना हेतु।

27 फरवरी, 2021 ई0

सं0 2167/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—शासनादेश संख्या 258/रा0-1-16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में

उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	महोबा	1025	0.441	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु।

सं0 2168/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—शासनादेश संख्या 258/रा0-1-16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	मुढ़ारी	819-झ	3.836 में से 2.000	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	पशुधन विभाग को गोवंश, वन्य विहार की स्थापना हेतु।

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी,
महोबा।

कानपुर देहात के जिलाधिकारी की आज्ञा

22 फरवरी, 2021 ई0

सं0 2203/डीएलआरसी-का0दे0-पुनर्ग्रहण/2021—उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या 536/एक-1-2019-रा0-1, दिनांक 17 जून, 2019 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेनेटरी लैण्ड फिल साइट के विकास हेतु नगर विकास विभाग को ''सेवारत'' विभाग की श्रेणी में रखते हुये ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये तथा नवीन शासकीय अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा दिये अधिकारों के क्रम में मैं, डा0 दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी, कानपुर देहात निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न

अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	परगना व तहसील	ग्राम	खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	कानपुर देहात	सिकन्दरा	जटियापुर	00205	311	0.410	6-4 ऊसर	मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेन्टर (एम0आर0एफ0) की स्थापना हेतु (नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश)।

डा0 दिनेश चन्द्र,
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की आज्ञा

03 मार्च, 2021 ई0

सं0 2449/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/2021-22—राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन सरयू नहर परियोजना के अधीन राप्ती मुख्य नहर के निर्माण हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-शोहरतगढ़, परगना-नौगढ़, ग्राम-घरूआर में स्थित 4.2480 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0 2118/आठ-वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2020-21, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-2 के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर, भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27 फरवरी, 2021 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षे0 सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-शोहरतगढ़ के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-2 के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन यथा सरयू परियोजना के अन्तर्गत राप्ती मुख्य नहर निर्माण के लिये अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई हितबद्ध व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है)

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़	नौगढ़	घरूआर	307	0.2560
				308	3.4592
				309	0.5328
				योग . .	4.2480

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़	नौगढ़	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, सिद्धार्थनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

March 03, 2021

No. 2449/viii-SLAO-SDR/Notification/2020-21--Whereas Preliminary notification no. 2118/ viii-SLAO-SDR/Notification/2021, dated 29 Oct., 2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 4.2480 hectares of land in Village Gharuaar, Pargana Naugarh, Tehsil Shoharatgarh, district Siddarth Nagar is required for public purpose, namely, project Rapti Main Canal under Saryu Canal Project through Rapti Nahar Nirman Khand-2 Shoharatgarh, Siddarth Nagar so and lastly published on dated 18 dec., 2020.

After considering the report of the Collector dated 27-02-2021 submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose.

The Governor is further pleased to declare under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Siddarth Nagar to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. (No. interested person is getting displaced in the acquisition process of proposed land for rapti Nahar nirman khand-2 Shoharatgarh, Siddarth Nagar under public purpose l.e. Saryu project rapti mukhya nahar nirman) :

Schedule-A

(Land Under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area (in Hect.)
1	2	3	4	5	6
Siddarth Nagar	Shoharatgarh	Naugarh	Gharuaar	307	0.2560
				308	3.4592
				309	0.5328
				Total . .	4.2480 Hectares.

Schedule-B

(Marked land in the area of Rehabilitation and Resettlement for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area (in Hect.)
1	2	3	4	5	6
Siddarth Nagar	Shoharatgarh	Naugarh	0	0	0

Note-A plan of land may be inspected in the office of the Collector, Siddarth Nagar for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector,
Siddarth Nagar.

पी0एस0यू0पी0–51 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 मार्च, 2021 ई० (फाल्गुन 29, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थ नगर

03 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1916/न0पा0परि0सि0नगर/2019-20–उत्तर प्रदेश अधिनियम 1916 (उ0प्र0सं0-2 सन् 1916 की धारा 298 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, सिद्धार्थनगर अपने सीमान्तर्गत विविधकर शुल्क (उप विधि) नियमावली, 2019 बनायी गयी है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली प्रकाशन हेतु दैनिक समाचार-पत्र "डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट" दिनांक 06 फरवरी, 2019 पृ0सं0-4 तथा दैनिक समाचार-पत्र "आज" दिनांक 07 फरवरी, 2019 द्वारा आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये थे। उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति न आने के उपरान्त बोर्ड की बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2019 के प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2019 प्रकाशित तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019

1–**संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ**–(1) यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर में प्रभावी होगी।

2–**परिभाषाएं**–(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) "नगरपालिका परिषद्" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् सिद्धार्थनगर से है।

3–**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन**–(1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

(2) नाला/नाली/सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(3) मरे हुए बड़े जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति प्रकरण ।

(4) मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 200.00 प्रति प्रकरण।

(5) शादी विवाह सफाई हेतु शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण ।

(6) चाट/फल के ठेले आदि पर डस्टविन न होने पर शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

(7) कूड़ा/कचरा जलाये जाने पर जुर्माना रू0 500.00 एवं पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण–

(क) यदि नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर के कर्मचारियों द्वारा ऐसा कृत्य किया पाया जाता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(8) सड़क के किनारे मोरंग, बालू, ईंट भवन सामग्री (मलवा पाये जाने पर नालियों के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन प्रकरण ।

(9) नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर सीमान्तर्गत मकानों के बीच खाली प्लाट पर यदि कूड़ा पाया जाता है तो प्लाट मालिक के ऊपर जुर्माना रु0 200.00 प्रति माह जब तक प्लाट मालिक ऊंची चौहद्दी न करा लें।

(10) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर द्वारा अनुबन्धित संस्था होने पर यूजर चार्ज के रूप में घरेलू शुल्क रु0 60.00 प्रतिमाह एवं व्यावसायिक शुल्क रु0 150.00 प्रतिमाह पति प्रतिष्ठान तथा गेस्ट हाउस या बल्क वेस्ट जनरेटर रु0 500.00 प्रति गेस्ट हाउस/प्रति बुकिंग।

(11) नगरपालिका सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों में टायलेट प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज रु0 05.00 प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

(12) नगरपालिका में स्थित नाला/नाली/सड़क अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति।

(13) नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर सीमान्तर्गत खुलें में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 100.00 प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति व्यक्ति।

(14) नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर सीमान्तर्गत महापुरूषों की प्रतिमाओं के पार्क/डिवाइडरों पर पोस्टर/बैनर लगवाने/चिपकाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 देय होगा।

(15) नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर सीमान्तर्गत सार्वजानिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडारों आदि को तोडने क्षति करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रति वर्ग मीटर।

(16) नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर द्वारा निर्मित विवाह घर, सार्वजनिक शौचालय, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजा,पेड पौधों, स्ट्रीट लाइटों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति अद्द किया जायेगा।

(17) नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर द्वारा बनाये गये उप नियम की शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर के बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति (स्वयं) उपरोक्त उपनियमों में किसी भी धारा का उल्लघंन करेगा या करायेगा या प्रोत्साहन देगा तो उस व्यक्ति पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप विधि के पैरा 1 लगायत 16 तक प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है, और जुर्माना न अदा करने पर तीन माह तक की कारावास का दण्ड भी उचित न्यायालय से किया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सिद्धार्थ नगर

03 फरवरी, 2021 ई0

सं0 1917/न0पा0परि0सि0नगर/2020-21—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद, सिद्धार्थ नगर द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली हेतु संशोधित उपनियमावाली "अमर उजाला" के पेज संख्या 09 दिनांक 30 अगस्त, 2018 तथा "राष्ट्रीय सहारा" के पेज 08 में दिनांक 30 अगस्त, 2019 को प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त संशोधित उपनियमावाली को सरकारी गजट उ0प्र0, प्रयागराज, प्रकाशन कराये जाने हेतु 15 दिनों में आपत्ति एवं सुझाव मांगा गया था। जिसमें कुल तीन आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण अध्यक्ष महोदय द्वारा कर दिया गया है। पुनः संशोधित उपनियमावाली को सरकारी गजट उ0प्र0, प्रयागराज, प्रकाशन कराया जाना है। आपत्ति निस्तारण के उपरान्त संशोधित दर निम्नवत् है—

	पूर्व निर्धारित दर	संशोधित निर्धारित दर
	रु0	रु0
(क) प्राइवेट बस	60.00 प्रतिदिन	120.00 प्रतिदिन
(ख) मिनी बस टाटा 407	35.00 प्रतिदिन	70.00 प्रतिदिन
(ग) मेटोडोर/मैजिक	45.00 प्रतिदिन	90.00 प्रतिदिन
(घ) टैक्सी,कार जीप	25.00 प्रतिदिन	50.00 प्रतिदिन
(ङ) टैम्पो	15.00 प्रतिदिन	30.00 प्रतिदिन

श्यामविहारी जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, पीलीभीत

27 जून, 2020 ई0

सं0 37/कर वि0/न0पा0परि0पी0/2020—शासकीय गजट उ0प्र0 द्वारा 31 दिसम्बर, 2015 को नगरपालिका परिषद्, पीलीभीत के पत्र संख्या 224/कर वि0/न0पा0परि0पी0/2015-16 प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या 135/9-9/11-119, दिनांक 18 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या 408/नौ-9-10-63ज/95टी0सी0, दिनांक 23 फरवरी, 2010 द्वारा नगरपालिका परिषद्, पीलीभीत की सीमान्तर्गत स्थिति भवन/भूखण्डों पर स्वःकर निर्धारण किया गया था जिसे शासन/प्रशासन द्वारा पालिका की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से कारपेट एरिया की दरों का संशोधन/वृद्धि किया जाना है जिसे पालिका बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 1, दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को कारपेट एरिया की दरों को संशोधन/वृद्धि किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है अतः निम्नलिखित दरों के संशोधन/वृद्धि किये जाने हेतु यदि किसी नागरिक/करदाता को कोई आपत्ति/सुझाव देना हो वह 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय कर विभाग नगरपालिका परिषद्, पीलीभीत में लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं परन्तु निर्धारित अवधि में किसी भी नागरिक द्वारा कोई भी आपत्ति/सुझाव पालिका में प्राप्त नहीं कराया गया है। तद्उपरान्त पालिका बोर्ड में दिनांक 16 मार्च, 2020 के बिन्दु संख्या 02 में पुनः उपरोक्त उपविधि को स्वीकृत कर शासकीय गजट में प्रकाशन कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो

शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी उक्त आवासीय भवन एवं भू-खण्ड के कारपेट एरिया की दरें पुनः नागरिकों के अवलोकनार्थ/संज्ञान में लाये जाने की दृष्टि से अन्तिम रूप से प्रकाशित करायी जा रही है।

नगरपालिका परिषद्, पीलीभीत के अन्तर्गत स्थित आवासीय भवन एवं भू-खण्ड के कारपेट एरिया प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दरें (रुपये में)

मोहल्ला/क्षेत्र का नाम	मार्ग की चौड़ाई का विवरण (जिस पर भवन/भू-खण्ड स्थित है)	वर्तमान में पक्का भवन प्रति वर्ग फुट की दर	प्रस्तावित पक्का भवन प्रति वर्ग फुट की दर	वर्तमान में अन्य पक्का भवन प्रति वर्ग फुट	प्रस्तावित अन्य पक्का भवन प्रति वर्ग फुट	वर्तमान में कच्चा भवन प्रति वर्ग फुट	प्रस्तावित कच्चा भवन प्रति वर्ग फुट	वर्तमान में भू-खण्ड प्रति वर्ग फुट	प्रस्तावित भू-खण्ड प्रति वर्ग फुट
नई बस्ती, मधुबन, सुनगढ़ी में अशोक कालोनी, एकता नगर, रामायण विहार/तेल मिल, आवास विकास ए व बी ब्लाक, सि0ला0नार्थ में कृष्ण लोक कालोनी, सुरभि कालोनी, निरंजन कुंज कालोनी, संजय रायल पार्क, तिरुपति गोल्डन पार्क, विश्वनाथपुर, गोदावरी स्टेट, शारदा कालोनी, गीता कालोनी, के0 जी0 एन0 कालोनी, सि0 ला0 साउथ पूरनमल, डोरीलाल,	24 मीटर से ऊपर	–	0.90	–	0.80	–	0.75	–	0.35
	12 मीटर से 24 मीटर तक	0.41	0.80	0.31	0.70	0.09	0.65	0.07	0.25
	9 मीटर से 12 मीटर तक	0.31	0.60	0.19	0.50	0.08	0.45	0.06	0.20
	9 मीटर से कम	0.23	0.50	0.16	0.45	0.07	0.40	0.05	0.15
नई बस्ती, साहूकार, सुनगढ़ी राजाबाग, शिवनगर, आवास-विकास सी ब्लाक, नखासा, इनायतगंज, सि0ला0 नार्थ, अवध नगर, के0जी0एन0 कालोनी-II, अम्बेडकर नगर, सुभाष नगर, विनायक बिहार, केसरी सिंह शेखचांद, आसफजान, मलिक अहमद, गोपाल सिंह, तखान, शेर मोहम्मद, तुलाराम, खुशीमल, गफ्फारखां, दुर्गा प्रसाद, डालचन्द, भूरे खां, फैजुल्ला खां, फीलखाना, जोशीटोला, बेनी चौधरी, बागगुलशेर खां, पकडिया, ड्रमण्डगंज, देशनगर, मस्जिद पठानी, मदीनाशाह, मुनीर खां, बशीर खां, अशरफ खां, मो0 फारुख, कबीर खां, मोहतशिम खां, सरायखाम, खैरूल्लाशाह, बुजकसावान, खुदागंज, खकरा, पंजावियान, कुवंरगढ़, थान सिंह, सरफराज खां, मोहम्मद वासिल	24 मीटर से ऊपर	–	0.80	–	0.70	–	0.55	–	0.25
	12 मीटर से 24 मीटर तक	0.25	0.60	0.19	0.55	0.07	0.45	0.07	0.20
	9 मीटर से 12 मीटर तक	0.19	0.50	0.13	0.45	0.06	0.35	0.05	0.15
	9 मीटर से कम	0.17	0.35	0.11	0.30	0.05	0.25	0.04	0.10
व्यवसायिक संस्थान/भवन/किरायेदारी से अच्छादित	24 मीटर से ऊपर	–	2.00						
	12 मीटर से 24 मीटर तक	–	1.50						
	9 मीटर से 12 मीटर तक	–	1.00						
	9 मीटर से कम	–	0.80						

नोट–यदि किसी करदाता द्वारा जलकर व गृहकर वित्तीय वर्ष में जमा नहीं किया जाता है तो बकाये पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूला जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
पीलीभीत।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी

08 मार्च, 2021 ई0

सं0 698/न0पा0परि0मं0/2021—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (II) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के द्वारा जनहित/शासकीय हित में ''नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी की विविध उपविधि नियमावली, 2021'' बनाकर उक्त अधिनियम की धारा 301(1) के अन्तर्गत जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर के कार्यालय पत्र संख्या 647/न0पा0परि0मं0/2021, दिनांक 17 फरवरी, 2021 के द्वारा उक्त उपविधि को "दैनिक जागरण" समाचार-पत्र के दिनांक 19 फरवरी, 2021, "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्र के दिनांक 19 फरवरी, 2021 तथा "अमर उजाला" समाचार-पत्र के दिनांक 18 फरवरी, 2021 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी, परन्तु निर्धारित अवधि दिनांक 06 मार्च, 2021 तक किसी भी व्यक्ति/संस्था के द्वारा नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी कार्यालय में कोई भी लिखित आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः प्रस्तावित ''नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी की विविध उपविधि नियमावली 2021'' को ही मूल रूप में स्वीकृत/अनुमोदित कर दी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी :

भवन एवं सम्पत्ति गृहकर, जलकर (स्वकर निर्धारण) उपविधि नियमावली, 2021

1—शीर्षक—यह नियमावली '' भवन एवं सम्पत्ति गृहकर, जलकर (स्वकर निर्धारण) उपविधि नियमावली, 2021'' कहलायेगी।

2—प्रकृति—यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर की सीमा में प्रभावी होगी।

3—परिभाषायें—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के बोर्ड/समिति से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) ''नगरपालिका परिषद्'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी से है।

(च) ''नगरपालिका परिषद् की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) ''भवन/भूखण्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका की सीमा में स्थित भवनों/गृहों/भूखण्डों आदि से होगा अर्थात् वह सभी अहाते, उपघर आदि तथा यदि एक परिसर में कई भवन स्थित हैं, तो इसे परिसर के सभी भवनों को भूमि सहित भवन कहा जायेगा।

(ज) ''कर अधीक्षक/कर निरीक्षक/टैक्स कलेक्टर/कर समार्हता/लिपिक'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के कर अधीक्षक/कर निरीक्षक/टैक्स कलेक्टर/करसमार्हता/लिपिक से है।

4—'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्य—रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, यथास्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर से नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले, गुणक से गुणा करने पर प्राप्त उसके 12 गुना मूल्य से है तथा उपरोक्त के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथास्थिति, भवन की दशा में प्रति वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये, उसके 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रति वर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराया दर इस प्रकार होगी जैसा कि नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो

वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर नियत किया जाय और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल के चालू न्यूनतम किराया दर और ऐसे अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे विहित किये जायें। प्रतिबन्ध यह है कि जहां नगर पालिका की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहां अधिशासी अधिकारी नगरपालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यपूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकता है।

• यदि आवासीय भवन का कोई भाग व्यवसायिक प्रयोग में है, तो उसका कर निर्धारण व्यवसायिक उपयोग में स्थित भाग में लागू आवासीय दर की पांच गुना दरें लागू होंगी। आकस्मिक कर निर्धारण वर्तमान वित्तीय वर्ष से लागू माना जायेगा, चाहे आकस्मिक कर निर्धारण की नोटिस वर्तमान वित्तीय वर्ष से किसी भी माह में जारी की जाय। नगरपालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।

• इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है अर्थात वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, जमा कर सकता है। वार्षिक किराया मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन व भूमि का स्वामी या अध्यासी उस दिनांक तक उसकी विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाय। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मी या कर्मियों के समूह के द्वारा इस नियमावली में विहित रीति के अनुसार प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

• अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगरपालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर के अभिप्रमाणित करेगा। इस प्रकार अभिप्रमाणित प्रत्येक सूची को नगरपालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा। जैसे ही सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा इसकी घोषणा की जायेगी।

सम्पत्ति का स्वतः निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी क्षेत्र में आने वाले सभी वार्डों के आवासीय भवनों/भूखण्डों की प्रति वर्ग फुट दर (रुपये में)

क्र0 सं0	मोहल्ले का नाम	12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/भूखण्ड			12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/भूखण्ड			आवासीय भूखण्ड जिसमें मकान न बना हो।/खाली भूखण्ड
		आर0सी0सी0/आर0बी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	आर0सी0सी/आर0बी छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सभी 25 वार्डो में	1.00	0.90	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30

5—जलकर की दरें—नगरपालिका द्वारा स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारण वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत जलकर देय होगा। निर्धारित वार्षिक मूल्य, जलकर अधिरोपण अधिनियम की निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा तथा समय-समय पर शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। जलकर अधिरोपण हेतु नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के लिये विहित अर्द्धव्यास पेयजल पाईप लाईन से 200 मीटर निर्धारित होगा।

6—अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में विभिन्न समूहों के मासिक किराया प्रति वर्ग फुट की दरें संशोधित की जायेंगी, तथा यदि संशोधन न हो तो प्रचलित दरों में प्रत्येक दो वर्ष में 10 प्रतिशत दरें स्वतः बढ़

जायेंगी। अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी नगरपालिका क्षेत्र व उसके भाग में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा। अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जो तिथि नियत की जायेगी उस समय सीमा के भीतर प्रत्येक भूमि/भवन के स्वामी या अध्यासी को वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु विहित प्रक्रियानुसार विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रपत्र में दर्शाई गयी कोई सूचना/विवरण मिथ्या पाये जाने पर या किसी तथ्य को छिपाने पर आवेदक रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) मात्र के न्यूनतम अर्थदण्ड का भागीदार होगा।

• भवन में छत पड़ जाने, भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा अध्यासन करने या भवन को किराये पर उठाने के दिनांकः से 60 दिन के भीतर कर निर्धारण हेतु प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा पच्चास वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में रु0 500.00, दो सौ वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के लिये रु0 1,000.00 तथा चार सौ वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के लिए हेतु रु0 2,000.00 तथा चार सौ वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर रु0 5,000.00 तक अर्थदण्ड देय होगा साथ ही 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में उक्तानुसार देय अर्थदण्ड का 05 प्रतिशत विलम्ब शुल्क भी देय होगा। किसी भी आपत्ति की स्थिति में अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम/मान्य होगा तथा विषम परिस्थितियों में अर्थदण्ड एवं विलम्ब शुल्क में युक्तियुक्त छूट देने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में अन्तर निहित होगा। अधिशासी अधिकारी सर्वोतम विवेकानुसार प्रशमन की कार्यवाही कर सकते हैं।

• सेवारत/सेवानिवृत्ति सैन्य कर्मचारियों /विकलांगों/ अन्धे व्यक्तियों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु प्रयुक्त भवन एवं भवन का सामान्य कर शासनादेश के अधीन होगा। पेट्रोल पम्पों पर, गृहकर शासनादेशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा, वर्तमान में उस परिसर में बनी सभी गैर आवासीय/व्यवसायिक भवनों का मूल्यांकन गृहकर का आरोपण सामान्य व्यावसायिक भवनों के अनुरूप किया जायेगा।

• भवन के नवनिर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन की दशा में 30 दिनों के अन्दर नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर को लिखित रूप से सूचित करना होगा, अन्यथा की दशा में उस वर्ष का पूर्ण गृहकर लागू होगा। अधिरोपित करों की वसूली विशेष परिस्थितियों में अध्यासी/किरायेदार से भी की जा सकेगी, जिसका समायोजन अध्यासी/किरायेदार भवन स्वामी से कर सकेगा। उपरोक्त नियमावली/उपविधियों के परिपेक्ष्य में शासनादेश जो समय-समय पर निर्गत होंगे, मान्य होंगे अन्यथा की दशा में नगरपालिका अधिनियम की धारा 299 के अर्न्तगत निर्मित उपविधि प्रभावी होगी।

7—डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन—नगरपालिका परिषद् मंझनपुर के द्वारा स्वयं या अनुबंधित संस्था के होने पर यूजर चार्ज के रूप में घरेलू दर रु0 100.00 प्रति परिवार प्रतिमाह, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से रु0 200 प्रति परिवार, प्रतिमाह तथा गेस्ट हाउस या अन्य सभी बल्क वेस्ट जनरेटर से रु0 1,000 प्रति गेस्ट हाउस प्रति माह की दर देय होगा। उपरोक्त देय धनराशि भवन स्वामी के द्वारा प्रतिमाह देय होगा, प्रतिमाह नहीं देने पर प्रति माह हाउस टैक्स/जलकर के वार्षिक डिमाण्ड बिल में सम्मिलित कर एक मुश्त वसूल किया जायेगा।

8—जब किसी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो, इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र-क में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जब किसी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जाता है जो उसके तीन सप्ताह के भीतर यथास्थिति भवन/भू-स्वामी द्वारा अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

9—तामीला में अन्य कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम, 1916 की विभिन्न धाराओं में दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। कर अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष एक किस्त में 01 अप्रैल से देय होगा। इच्छुक व्यक्ति कर की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से जमा कर सकते है। अग्रिम रूप में जमा की गयी धनराशि अथवा करों संबंधी किसी विवाद के निस्तारण के पश्चात् अधिक जमा धनराशि की वापसी किसी भी दशा में नहीं की जायेगी, अपितु उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

• मांग बिल का पूर्ण भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर करना होगा, जिसमें समय-सीमा के अन्तर्गत भुगतान करने पर नियमानुसार विशेष छूट/प्रोत्साहन अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर (31 मार्च तक) करों का भुगतान न होने की दशा में गत वर्ष की गृहकर/जलकर की चालू मांग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज प्रतिवर्ष की दर

से वृद्धि के साथ अगले वर्ष के डिमाण्ड के साथ देय होगा, जो 01 अप्रैल से लागू होगी। किसी भवन/भूमि के निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन पर लगाये गये करों का भुगतान यदि भवन स्वामी द्वारा नहीं किया गया जाता है, भुगतान का दायित्व वास्तविक अध्यासी/किरायेदार का होगा जिसका समायोजन भुगतानकर्ता वास्तविक भवन स्वामी को दिये जाने वाले किराये में कर सकेगा। जिसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी का होगा। वार्षिक मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कोई प्रकरण निस्तारण हेतु नगर पालिका कार्यालय में लम्बित रहने की दशा में विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी सर्वोत्तम विवेकानुसार सरचार्ज में छूट प्रदान कर सकते है।

10—गृहकर/जलकर के बकाये तथा सरचार्ज की वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के बकाये की भॉति की जा सकेगी तथा सम्बन्धित भवन स्वामी के चल-अचल सम्पत्ति की आनुपातिक नीलामी के साथ ही उसके किसी भी बैंक खाते में जमा धनराशि को सीज कर उससे समायोजित की जा सकेगी।

11—पुनरीक्षण—कर निर्धारण सूची का विस्तृत पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में किया जायेगा तथा पुनरीक्षण के समय प्रत्येक भवन स्वामी सूचना देने हेतु बाध्य होगा। नगर पालिका परिषद के अनुसार किसी भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी से कर निर्धारण सूची में किसी परिवर्तन या संशोधन हेतु कोई सूचना लिखित रूप से किसी अवधि में कर अधीक्षक/कर निरीक्षक/टैक्स कलेक्टर/करसमार्हता/लिपिक/अधिशासी अधिकारी के द्वारा मांगी जा सकती है। नगर पालिका परिषद का कोई भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी सूचना देने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना देता है तो कर अधीक्षक या जैसी स्थिति हो की अख्यानुसार अधिशासी अधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकेगा।

12—कर मुक्त तथा छूट—नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के ऐसे भवन एवं भूमि जो नगरपालिका के स्वयं के प्रयोग में होंगे कर मुक्त रहेंगे। अनध्यासन के कारण पूर्ण अथवा आंशिक छूट तभी प्रदान की जायेगी जब अनध्यासन की सूचना लिखित रूप में नियमानुसार नगर पालिका परिषद कार्यालय को प्राप्त करायी गयी हो। यदि छूट प्राप्त भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा पुनः अध्यासन की सूचना नहीं दी जाती हैं, तो दोष सिद्ध ठहराये जाने पर पुनः अध्यासन के दिनांक से निर्धारण देय कर की दस गुनी धनराशि या एक हजार रूपये दोनों में जो अधिक हो, के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा या युक्तियुक्त कारण पर उसमें छूट दिया जाना अधिशासी अधिकारी के निर्णय के अधीन होगा।

13—विशेष छूट/प्रोत्साहन एवं विलम्ब पर शुल्क—प्रत्येक भवन स्वामी को वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही (01 अप्रैल से 30 जून तक) में सम्पत्तिकर,गृहकर/जलकर जमा करने पर प्रोत्साहन हेतु 10 (दस) प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी एवं द्वितीय तिमाही (01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) सम्पत्तिकर/गृहकर/जलकर में 05 (पांच) प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, परन्तु तृतीय तिमाही (01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक) एवं चतुर्थ तिमाही (01 जनवरी से 31 मार्च तक) में सम्पत्तिकर/गृहकर/जलकर जमा करने पर कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। प्रत्येक भवन स्वामी को वित्तीय वर्ष के समाप्ति (31 मार्च) के पश्चात अवशेष गृहकर/जलकर पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त सरचार्ज/अधिभार शुल्क देय होगा। उक्त विलम्ब शुल्क प्रतिवर्ष की दर से अगले वर्ष के डिमाण्ड के साथ स्वतः जोड़कर वसूली की जायेगी।

14—नामान्तरण तथा करों में संशोधन की प्रक्रिया—कर निर्धारण सूची में किया जाने वाला संशोधन जो किसी करारोपित भवन/बाउण्ड्री भूमि पर निर्धारण करों की वसूली में आवश्यक हो गया हो उसकी लिखित सचूना (साक्ष्य सहित) निर्धारित प्रपत्र पर नगर पालिका परिषद कार्यालय को प्राप्त कराना सम्बन्धित भवन स्वामी को अनिवार्य होगा। यदि किसी करारोपित भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का यह दायित्व होगा कि स्वामित्व सम्बन्धी सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो यह सिद्ध करता हो कि आवेदक का वास्तविक स्वामी हो, तीन मास (90 दिन) के भीतर लिखित रूप से निर्धारित फार्म पर आवेदन—पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त वसीयतनामा, बैनामा, न्यायालय के निर्णय या अन्य किसी आधार पर नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी के द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी। नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही किन्हीं कारणों से लम्बित रहने की शर्त पर कर का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा। दाखिल खारिज/नामान्तरण प्रार्थना-पत्र पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के द्वारा कार्यवाही तब तक नहीं की

जायेगी तब तक आवेदक के द्वारा सम्बन्धित भवन का बकाया सम्पूर्ण करों का भुगतान न कर दिया जाय। प्रत्येक दशा में बकाया करों का भुगतान का दायित्व किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले का होगा। किसी भवन/भूमि के सम्बन्ध में संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही किये जाने के पूर्व 30 दिन की नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा। किसी भी भूखण्ड पर बाउन्ड्री निर्मित करानें/किसी भवन या बाउन्ड्री मुक्त भूखण्ड के क्रय करने के तीन माह (90 दिन) के अन्दर अपना नाम नगर पालिका के भवन पंजिका पर स्वतः अंकित नहीं करायेंगे जो ऐसे भवन या बाउन्ड्री युक्त भूखण्ड के स्वामियों को नाम दर्ज कराने के समय रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) वार्षिक की दर से अधिभार/सरचार्ज देना होगा। उक्त अधिभार /सरचार्ज मे युक्तियुक्त कारणों पर छूट देने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। किसी भवन/भूमि के स्वामित्व/अध्सासन अथवा कर निर्धारण/कर संशोधन संबंधी विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के द्वारा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार लिया गया निर्णय, किसी सक्षम न्यायालय से अन्य कोई विपरीत आदेश होंगे तब तक प्रभावी रहेगा।

15—नामान्तरण/दाखिल-खरिज शुल्क—नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147(1) के अन्तर्गत किये गये कोई भी नामान्तरण/दाखिल-खारिज, प्रार्थना-पत्र नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा निर्धारित फार्म पर ही स्वीकार किये जायेंगे। कर निर्धारण सूची में अंकित स्वामित्व के नामान्तरण/दाखिल-खारिज हेतु ऐसे प्रार्थना-पत्र पर वसीयत एवं वरासतन आधार पर प्रति प्रकरण रु0 1,000.00 नामान्तरण शुल्क एवं पंजीकृत बैनामा व हिबानामा के आधार पर नामान्तरण/दाखिल-खारिज हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण पर उनके सरकारी मालियत का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) नामान्तरण शुल्क देय होगा।

16—विलम्ब शुल्क/अधिभार—नामान्तरण/दाखिल-खारिज हेतु विहित तरीके से आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र तीन माह (90 दिन) के अन्दर प्रस्तुत कर देने पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा परन्तु तीन माह (90 दिन) से अधिक समय बाद प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष रु0 1,000.00 (एक हजार मात्र) की दर से विलम्ब शुल्क प्रति प्रकरण देय होगा। विलम्ब शुल्क में छूट देने का अधिकार युक्तियुक्त कारण पर अधिशासी अधिकरी, नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में निहित होगा।

17—प्रत्येक नामांतरण/दाखिल-खारिज के प्रकरण में दावा आपत्ति की न्यूनतम अवधि (30 दिन) के अन्दर आपत्ति, दाखिल करने का अधिकार सम्बन्धित प्रकरण से जुड़े हितलाभी को होगा तथा उसे अपने आपत्ति प्रार्थना-पत्र के साथ ही प्रतिप्रकरण/प्रतिव्यक्ति के दर से रु0 1000.00 (एक हजार) आपत्ति शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त आपत्ति शुल्क साथ साक्ष्य सहित प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना-पत्र जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर उक्त आपत्ति शुल्क रु0 1000.00 (एक हजार) सम्बन्धित आपत्तिकर्ता व्यक्ति के पक्ष में वापस कर दी जायेगी तथा यदि सम्बन्धित प्रकरण में प्रस्तुत की गयी जांच/परीक्षण में सही नहीं पाये गये तो उपरोक्त प्रकरण में आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ जमा की गयी उपरोक्त आपत्ति शुल्क रु0 1000.00 (एक हजार) जब्त कर ली जायेगी।

18—यदि कोई भवन/भू-खण्ड को अथवा उसके अंश को विलेखों द्वारा या अन्य कारणों हेतु हस्तान्तरित करता है तो विलेख निष्पादन तिथि अथवा कारण तिथि से 90 दिन (तीन माह) के अन्दर ग्रहणकर्ताओं द्वारा अपने नाम नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर के अभिलेखों में दर्ज/अंकित करायेगा, ऐसा न कर पाने की दशा में यह कार्यवाही रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) वार्षिक की दर से गणना करके विलम्ब शुल्क/अधिभार जमा करने पर ही हो सकेगी। विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी द्वारा यह अधिभार में युक्तियुक्त कारणों से कम अथवा माफ कर सकेंगे।

19—भूल सुधार—किसी बिल/कर निर्धारण सूची/डिमाण्ड रजिस्टर/जारी की गयी नोटिस/काटी गयी रसीद पर त्रुटिपूर्ण अंकन का सुधार किसी भी समय भवन स्वामी /अध्यासी को सूचना देकर किया जा सकेगा।

20—नोट—उपरोक्त भवन एवं सम्पत्ति गृहकर तथा जलकर स्वकर निर्धारण उपविधि नियमावली, 2021'' उ0प्र0 राजपत्र में मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी तथा उक्त नियमावली, 2021 के प्रभावी होते ही नगर पंचायत, मंझनपुर के द्वारा निर्मित भवन व जलकर से सम्बन्धित पूर्व उपविधियों का प्रभाव उक्त सीमा तक स्वतः शून्य हो जायेगा।

नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में स्थित सम्पत्तियों का स्वकर निर्धारण प्रपत्र

फोटो

1–भवन निर्माण वर्ष..... .....वार्ड संख्या /मोहल्ला.....

2–भवन संख्या पूर्व..... भवन संख्या वर्तमान.....

3–भवन/भूखण्ड/अध्यासी का नाम–.....

4–भवन/भूखण्ड/अध्यासी के पिता/पति का नामः– .....

5–भवन/भूखण्ड/अध्यासी का स्थाई पताः– .....

6–भवन/भूखण्ड/अध्यासी का अस्थाई /पत्राचार का पताः– .....

7–भवन/भूखण्ड पर निर्मित भवन का कुल आच्छादित क्षेत्रफल (कवर्ड एरिया) = ...

(अ) तलघर (बेसमेंट) (वर्गफुट में).....(ब) भूतल (वर्गफुट में).....

(स) प्रथमतल (वर्गफुट में).....(द) द्वितीयतल (वर्गफुट में).....

(य) तृतीय तल (वर्गफुट मे) .....(र) अन्य तल (वर्गफुट में).....

8–आवासीय भूखण्ड जिसमे मकान न बना हो/खाली भू–खण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग फुट):–.....

9–भवन के निर्माण की प्रकृति–(टिप्पणी–कृपया निम्न में जो भी सही हो उसमें (✓) सही का निशान लगायें)

(अ) आर0सी0सी0 छत सहित अच्छा मकान ( ), (ब) अन्य पक्का भवन ( ), (स) कच्चा भवन ( )।

10–भूमि/भवन कितने मी0 चौड़ाई वाले मार्ग पर अवस्थित है–(टिप्पणी– कृपया निम्न में जो भी सही हो उसमें (✓) सही का निशान लगायें)

(अ) 12 मी0 से अधिक ( ), (ब) 12 मी0 से कम ( )।

11–भवन सम्बन्धित ब्यौरा (लम्बाई × चौडाई)–

(अ) स्व0-प्रयोग भवन का कुल कार्पेट एरिया (वर्ग फुट में) =

(ब) भवन के व्यावसायिक भाग का कार्पेट एरिया(वर्ग फुट) =

12–भवन/भू-खण्ड का कुल वार्षिक किराया मूल्य (ARV) =

13–गृहकर–भवन के कुल वार्षिक मूल्य (ARV) का 10 प्रतिशत =

14–जलकर–भवन के कुल वार्षिक मूल्य (ARV) का 10 प्रतिशत =

(नोट–जलकर दो सौ मीटर अर्द्धव्यास की परिधि में पाइप लाइन होने पर देय होगा।)

15–कुल योग–

गृहकर (रु0 में)	जलकर (रु0 में)	कुल योग (रु0 में)

16–स्वामी/अध्यासी द्वारा घोषणा–मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उल्लिखित शर्तें एवं सूचनायें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं जो मुझे मान्य है मैंने इस पत्र में दिये गये विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध जो भी निर्णय लिया जायेगा मुझे मान्य होगा।

स्वामी/अध्यासी के हस्ताक्षर.....

दिनांक–..... स्वामी/अध्यासी का पूरा नाम.....

मोबाइल नं0:–..... स्वामी/अध्यासी पूरा पता.....

सम्पत्ति का स्वतः निर्धारण प्रक्रिया में आने वाले वार्डो के आवासीय भवनों/भूखण्डों की प्रति वर्ग फुट दर (रुपये में)

क्र0 सं0	मोहल्ले का नाम	12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/भूखण्ड			12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन/भूखण्ड			आवासीय भूखण्ड जिसमें मकान न बना हो/खाली भूखण्ड
		आर0सी0सी0/आर0बी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	आर0सी0सी0/आर0बी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सभी 25 वार्डों में	1.00	0.90	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30

विभागीय कार्यवाही

सम्बन्धित टैक्स कलेक्टर/लिपिक की टिप्पणी.....

.....

.....

हस्ताक्षर–

टैक्स कलेक्टर/लिपिक

नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) हेतु आवेदन-पत्र

रसीद सं0.....

स्टेशनरी मूल्य 50 रुपये

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी

विषयः भवन के नामान्तरण (दाखिल-खारिज) के सम्बन्ध में

महोदय,

प्रार्थी/प्रार्थिनी भवन/प्लाट संख्या.....स्थित मोहल्ला.....के सम्पूर्ण/जुज भाग पर निम्नलिखित कारण से अपने नाम नगर पालिका अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता/चाहती है। उक्त भवन का अब तक का गृहकर पूरा जमा है। प्रार्थी/प्रार्थिनी उक्त भवन का निर्धारित नामान्तरण शुल्क नगरपालिका कोष में तत्काल जमा करने को तैयार है।

नामान्तरण का कारण	साक्ष्य
1–दर्ज स्वामी की मृत्यु हो जाने के आधार पर	1–उत्तराधिकारी होने के नाते खानदानी सजरा शपथ-पत्र एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2–पंजीकृत विक्रयनामे के आधार पर वसीयत	2–रजिस्टर्ड डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
3–वसीयत	3–वसीयत की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलगन है।
4–पंजीकृत दानपात्र (गिफ्ट् डीड)	4–गिफ्ट् डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।
5–पारिवारिक समझौते के आधार पर तथा शपथ-पत्र संलग्न है।	5–खानदानी सजरे एवं पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रति

6–न्यायालय के आदेशानुसार 6–न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शपथ-पत्र संलग्न है।

7–हिब्बानामे के आधार पर 7–शपथ-पत्र संलग्न है।

अतः भवन संख्या.....स्थित मोहल्ला.....वार्ड नं0..... पर उपरोक्त में से टिक किये गये कारण के आधार पर दर्ज नाम..... को खारिज करके संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी/प्रार्थिनी.....का नाम दर्ज किया जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्य प्रार्थी/प्रार्थिनी की जानकारी में बिल्कुल सत्य है इसमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही कुछ छिपाया गया है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सत्यता एवं प्रमाणिकता का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रार्थी/प्रार्थिनी का होगा।

कृपया उपरोक्त नामान्तरण (दाखिल-खारिज) की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रार्थी/प्रार्थिनी अपने भवन का गृहकर आदि अपने नाम से जमा कर सके।

संलग्नक– प्रार्थी/प्रार्थिनी (पूरा नाम)–

दिनांक– पता–

फोन/मोबाइल नं0–

लाइसेन्स शुल्क उपविधि, 2021

1–संक्षिप्त नाम तथा प्रसार और प्रारम्भ–(क) यह नियमावली दुकानों एवं व्यवसायों को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी सीमान्तर्गत ''लाइसेन्स शुल्क उपविधि, 2021'' कही जायेगी।

(ख) यह उपविधि सम्पूर्ण नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी सीमान्तर्गत लागू होगी।

(ग) व्यवसाय दुकान का तात्पर्य किसी एक से क्रय/विक्रय स्थल से है, जहां कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी उत्पादन का क्रय/विक्रय, स्वयं करता या करवाता है।

(घ) दुकानदारों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके स्वामित्व में किसी दुकान अथवा व्यवसाय का संचालन होता है।

2–परिभाषाएं–(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) "नगर पालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(ग) "अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(घ) "अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3–नियम–(क) नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स प्राप्त किये कोई भी व्यवसाय अथवा दुकान का संचालन नहीं करेगा।

(ख) लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक दुकानदार लाइसेन्स हेतु निर्धारित धनराशि के साथ अपना प्रार्थना-पत्र कार्यालय नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में जमा करेगा।

(ग) लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

(घ) लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसके व्यवसाय तथा स्थान को नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा जांच की जायेगी।

(ङ) लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर लोक अप्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुये लाइसेन्स-पत्र जारी करेगा अथवा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा अथवा नियमावली में दिये गये निर्देशो का पालन करने का निर्देश सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा और आवेदन पर समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(च) यह कि इस नियमावली में लाइसेन्स-पत्र जारी करने के लिये अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी लाइसेन्सिंग अधिकारी होगा।

(छ) प्रत्येक दुकानदार को नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा दिया गया लाइसेन्स-पत्र दुकान में ऐसे स्थान पर लगाना होगा, जिसे अधिकारी/कर्मचारी, नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के द्वारा निरीक्षण के समय सामान्य रूप से देखा जा सके, यदि सहज रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है तो उसे दुकानदार को तुरन्त दिखाना होगा।

(ज) यह कि यदि कोई दुकानदार निर्धारित समय के अन्दर लाइसेन्स नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से नहीं बनवाता है तो निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त रुपया 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति वित्तीय वर्ष अर्थदण्ड देय होगा।

(झ) यह कि यदि दुकानदार वैध लाइसेन्स-पत्र प्राप्त किये बिना दुकान का संचालन करता पाया जायेगा तो दुकानदार अथवा उसके अभिकर्ता या कर्मचारी के विरूद्ध नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 168 के अन्तर्गत लाइसेन्स शुल्क तथा अर्थदण्ड व वसूली हेतु व्ययों सहित धनराशि का मांग-पत्र प्रेषित किया जायेगा।

(ञ) यह कि यदि मांग-पत्र में दिये गये समय के अन्तर्गत उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भुगतान नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी कार्यालय में न किया गया तो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 169 के अन्तर्गत सम्बन्धित धनराशि की वसूली के बावत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(ट) यह कि यदि कोई दुकानदार अथवा व्यापारी की सम्पत्ति अधिग्रहीत की जायेगी और सम्बन्धित व्यक्ति देय धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 172 के अन्तर्गत अधिग्रहीत सम्पत्ति बेचकर देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

(ठ) यह कि देय धनराशि की वसूली हेतु दुकान अथवा व्यवसायी के स्वामी से वसूली किये जाने हेतु नगरपालिका अधिनियम की धारा 173-ए के अन्तर्गत वसूली की जायेगी, जिससे सम्बन्धित दुकानदार को संग्रह व्यय अतिरिक्त देना होगा।

(ड) यह कि यदि किसी दुकान का व्यवसाय अथवा दुकान का लाइसेन्स अवधि में समाप्त हो जाती है तो लाइसेन्स शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ढ) यह कि प्रत्येक दुकान को अलग-अलग व्यवसायों के अनुसार अलग-अलग लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा, चाहे उक्त दुकानों पर एक ही भवन में क्यों न स्थित हो, यदि एक ही व्यक्ति की कई दुकाने एक ही व्यवसाय से सम्बन्धित कई स्थानों पर ही हैं तो उसका सभी का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

(ण) यह कि किसी भी दुकान के संचालन में लगे अभिकर्ता, कर्मचारी को संक्रामक रोग होने पर लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा और दुकान के स्वामी को ऐसे कर्मचारी हटाने का निर्देश दिया जायेगा।

(त) यह कि ऐसी दुकानों या व्यवसाय जहां खाद्य सामग्री का विक्रय या उपयोग किया जाता है, पुताई चूने से अथवा अन्य पेन्ट आदि से वर्ष में एक बार कराना अनिवार्य होगा।

(थ) नगर में खाद्य पदार्थों के उत्पादको, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं तथा हाकर्स को अनिवार्य रूप से लाइसेन्स लेना होगा। बिना लाइसेन्स से संचालित प्रतिष्ठान के विरूद्ध छापा मार कर नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(द) खाद्य पदार्थों के उत्पादन/विक्रय से सम्बन्धित प्रतिष्ठान/दुकानें के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अभियान चला कर नमूना संग्रह किया जायेगा।

(ध) यह कि ऐसे स्थान जहां मिठाई आदि खाद्य सामग्री की बिक्री व उपयोग होता है, बैठने का स्थान व भवन स्वच्छ, हवादार, सीलन रहित होना चाहिये तथा दुकानदार को यह भी व्यवस्था करनी होगी कि दोने पत्ते आदि निर्धारित स्थान पर एकत्र करवाने हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था करें।

(न) यह कि ऐसी दुकाने जहां बर्तनों का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है वहां गर्म पानी से उपयोग होने के पश्चात् किसी वाशिंग पाउडर से बर्तन धुले जाने चाहिये तथा खाद्य सामग्री रसायनिक रूप से उपयोग किये जाने वाले बर्तन जालीदार ढक्कन से बन्द होने चाहिये।

(प) कोई भी दुकानदार/होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा/हाकर्स वाला खुली तथा गन्दे स्थान पर खाद्य सामग्री न तैयार करे और न बेचे।

(फ) कोई भी दुकानदार/होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा/हाकर्स वाला बिना समुचित लाइसेन्स अपना कारोबार नही करेगा।

(ब) कोई भी दुकानदार/होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा/ हाकर्स वाला अनहाइजेनिक दूषित खाद्य सामग्री न तैयार करे न बेचें।

(भ) यह कि यदि दुकानदार/लाइसेन्स धारक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो लाइसेन्स को निलम्बित अथवा निरस्त किसी भी समय बिना कारण बताये किया जा सकता है।

(म) यह कि लाइसेन्स अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(र) यह कि विवादस्पद मामलों में विहित प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा किन्तु निर्णय होने तक लाइसेन्स शुल्क वार्षिक नियमित रूप से देय होगा।

लाइसेन्स शुल्क की दरें–(वार्षिक)

	रु0
(1) होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/बारात घर	10,000.00
(2) हाकर्स/होटल/ढाबा/रेस्टोरेन्ट	3,000.00
(3) बिल्डर्स/प्रापर्टी डीलर/विज्ञापन एजेन्सी	5,000.00
(4) नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (20 बेड तक)	10,000.00
(5) नर्सिग होम/प्रसूति गृह (20 बेड के ऊपर)	15,000.00
(6) प्राइवेट क्लीनिक/प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
(7) पैथोलांजी सेन्टर/एक्सरे क्लीनिक/डेन्टल क्लिीनिक	5,000.00
(8) मिनी बस/ बस/ट्रक/लारी	2,000.00
(9) टैम्पो/विक्रम/आटो रिक्शा/ई-रिक्शा	1,000.00
(10) हाथ ठेला/ठेली /रिक्शा ट्राली/रिक्शा किराये पर	500.00
(11) मोटर साइकिल/ट्रैक्टर/वाहन एजेन्सी	10,000.00
(12) स्कूटर एजेन्सी 2 पहिया/3 पहिया	10,000.00
(13) साइकिल/पार्टस की दुकान (नई साइकिल बेचने हो)	3,000.00
(14) मोटर/साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल गैरिज	3,000.00
(15) वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की दुकान	3,000.00
(16) मिटटी तेल/पेट्रोल, डीजल पम्प/कुकिंग गैस एजेन्सी	5,000.00
(17) आटा चक्की/धान मशीन/स्पेलर/रूई धुनाई मशीन	2,000.00
(18) फाइनेन्स कम्पनी/चिटफंड कम्पनी/बैंक शाखा	3,000.00
(19) मोबाईल टावर/इंश्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	10,000.00
(20) बर्फ/सोडा/वाटर /आइसक्रीम फैक्ट्री	3,000.00
(21) बेकरी (भट्ठी)/खाद्य पदार्थ बनाने का कारखाना	3,000.00
(22) लोहा/सीमेन्ट/ईट/बालू विक्रेता	5,000.00
(23) पेन्ट/माल टाइल्स/सिनेटरी/हार्डवेयर विक्रेता	5,000.00
(24) बिजली के सामान/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विक्रेता	5,000.00
(25) आरा मशीन/टेन्ट हाउस/ केटरिंग/कोयला विक्रेता	5,000.00
(26) सब्जी/फल/चाट/चाय /पान की दुकान	1,000.00
(27) मिठाई की दुकान	3,000.00
(28) कपड़ा/ टेलरिंग हाउस/रेडिमेड कपड़ा विक्रेता	3,000.00
(29) साहूकारी/ज्वैलर्स की दुकान	10,000.00
(30) अनाज/केराना/जनरल मर्चेन्ट/जनरल स्टोर दुकान	3,000.00
(31) लोहे का कारखाना/वेल्डिंग/खराद की दुकान	5,000.00
(32) अंग्रेजी/आयुर्वेदिक दवा की दुकान	5,000.00
(33) बैट्ररी विक्रय/मरम्मत की दुकान	2,000.00
(34) देशी शराब /बियर/बार/ विदेशी शराब की दुकान	10,000.00
(35) टिम्बर/फर्नीचर विक्रेता	5,000.00
(36) कास्मेटिक/चूड़ी/सौन्दर्य प्रसाधन/बिताश खाना	3,000.00
(37) टॉवर पर व्यवसायिक शुल्क	10,000.00
(38) मुर्गा-मुर्गी/बकरा /भैसा/सुअर मांस दुकान	3,000.00

(39) कोल्ड स्टोरेज पर	10,000.00
(40) कोचिंग संस्थान	5,000.00
(41) मदिरा/शराब की दुकान	10,000.00
(42) प्ले ग्रुप से 12 तक निजी स्कूल	5,000.00
(43) भांग की दुकान	5,000.00
(44) डिग्री कालेज/अन्य व्यवसायिक कालेज	10,000.00
(45) हेयर कटिंग सैलून/बाल कटिंग/मेन्स पार्लर	1,000.00
(46) डेयरी	4,000.00
(47) ब्यूटीपार्लर	2,000.00
(48) मोबाइल रिपेयरिंग सेन्टर	2,000.00
(49) ड्राई क्लीनर	3,000.00
(50) आर0ओ0 वॉटर सप्लाई	3,000.00
(51) फल विक्रेता/आढ़ती	3,000.00
(52) कैटरिंग/टेन्ट हाउस व्यवसाय	5,000.00
(53) बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान	5,000.00
(54) निर्माणाधीन बिल्डिंग पर निकाले गये मलवा पर	5,000.00
(55) प्राइवेट सीवर सेक्शन मशीन/सीवर टैंक/सीवर लाईन सफाई कार्य हेतु निकाय में पंजीयन लाइसेंस शुल्क	10,000.00
(56) नगर में व्यवसाय करने वाले अन्य व्यवसायी (200 वर्ग फिट या उससे न्यून क्षेत्रफल पर)	2,000.00
(57) नगर में व्यवसाय करने वाले अन्य व्यवसायी जिनका कारपेट एरिया (200 वर्ग फिट या उससे अधिक)	3,000.00

''विविध कर (शुल्क) उपविधि, 2021''

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगरपालिका परिषद् पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर कौशाम्बी में ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021'' कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–यह उपविधि ''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2021'' कहलायेगी। यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें–विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये–

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) ''नगरपालिका परिषद'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(4) ''अध्यक्ष/प्रशासक'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर कौशाम्बी के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

विविध कर (शुल्क) की दरें–(1) प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 50.00 प्रति प्रमाण-पत्र।

(2) टैंकर शुल्क (पालिका सीमा में सार्वजनिक कार्य हेतु) रु0 700.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

(3) टैंकर शुल्क (पालिका सीमा में व्यावसाययिक कार्यों हेतु) रु0 1,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

(4) टैंकर शुल्क (पालिका सीमा के बाहर अधिकतम 10 किमी0 तक केवल सार्वजनिक कार्यो हेतु) रु0 2,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

(5) नगरपालिका के कार्यालय में पम्प हाउस/ समरसेबुल से पानी के निजी खाली टैंकर भरने पर शुल्क रु0 300.00 प्रति टैंकर।

(6) सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (पालिका सीमान्तर्गत) रु0 4,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

(7) सीवरेज टैंकर शुल्क (पालिका सीमा के बाहर अधिकतम 10 किमी तक) रु0 5,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

(8) नाली/नाला या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने पर पेनॉल्टी शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

(9) नाली/नाला या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर पर पेनॉल्टी शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(10) 40 माइक्रोन मोटाई से कम की मोटाई की पॉलीथीन प्रयोग करने पर पेनॉल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

(11) 40 माइक्रोन मोटाई से कम की मोटाई की पॉलीथीन प्रयोग करने की पुनरावृत्ति करनें पर पेनॉल्टी शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

(12) नगरपालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रॉन्सफारमर पर शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।

(13) नगरपालिका सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

(14) नगरपालिका सीमा में भैंस/गाय/ सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/ प्रतिदिन।

(15) नगरपालिका सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के टॉयलेट प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से रु0 05.00 प्रति व्यक्ति एवं बाथरुम प्रयोक्ता यूजर चार्ज से रु0 05.00 प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

(16) नगरपालिका सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/ अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति पर पेनॉल्टी शुल्क रु0 1,000.00 तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।

(17) भैंसा/बकरा व अन्य मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने पर शुल्क 1,000.00 रूपये वार्षिक प्रति प्रकरण होगा।

(18) छोटी बाउण्ड्री युक्त भूखण्ड या मकानों के मध्य खाली भूखण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेकनें को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भूखण्डों एवं छोटी बाउण्ड्री वाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनॉल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 1,000.00 होगा।

(19) नगरपालिका सीमान्तर्गत पालतू जानवर पालने वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने पालतू जानवरों के गोबर/गंदगी सार्वजनिक जगहों, मार्गों, पटरियों पर रखने या नाली या नालों में प्रवाहित करने पर सम्बन्धित पशुपालक से पेनॉल्टी शुल्क (स्पॉट फाईन) एक हजार रूपये प्रति प्रकरण की दर से वसूल किया जायेगा तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर पेनाल्टी शुल्क (स्पॉट फाईन) दो हजार प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

(20) सड़क के किनारे मौरंग, बालू, ईंट भवन सामग्री पाये जाने पर, नालियों के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर पेनॉल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन प्रति प्रकरण होगा।

(21) नगर पालिका के जे0सी0बी0 मशीन व्यक्तिगत उपयोग हेतु किराया शुल्क रु0 100.00 प्रति घण्टा।

(22) नगर पालिका के मोबाइल टॉयलेट किराया शुल्क रु0 1,500.00 प्रतिदिन।

(23) नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में किये जाने वाले घरेलू जलापूर्ति पर जलमूल्य रु0 100.00 प्रतिमाह या रु0 1200.00 वार्षिक होगा परन्तु जलापूर्ति का व्यावसायिक उपयोग करने पर जलमूल्य रु0 200.00 प्रतिमाह या रु0 2,400.00 वार्षिक होगा।

(24) जल संयोजन हेतु स्वामित्व प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र, निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के पक्ष में अनुबंध पत्र इत्यादि आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने पर जल संयोजन हेतु शुल्क 1,500.00 रुपये देय होगा। उसके साथ ही जल कनेक्शन कराने वाले व्यक्ति को जल कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री तथा रोड कटिंग की मरम्मत सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा स्वतः कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उपरोक्त रोड कटिंग के मरम्मत खर्च के साथ ही 2,000 रुपये अतिरिक्त पेनॉल्टी के साथ वसूल किया जायेगा।

(25) नगरपालिका सीमान्तर्गत कार्यालय द्वारा नियमित जल संयोजन लिये बिना अवैधानिक ढंग से सरकारी पेयजल पाईप लाईन में अवैध जल कनेक्शन ले लेने पर सम्बन्धित व्यक्ति/भवन स्वामी के द्वारा 5,000.00 रूपये अर्थ दण्ड आरोपित होगा तथा नवीन जल कनेक्शन हेतु वांछित अन्य औपचारिकता पूर्ण कराकर अपने अवैध जल कनेक्शन को नियमित कराना होगा।

(26) नगरपालिका के सीमा में स्थित भवन में निजी सबमर्सिबल पम्प लगवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शुल्क रु0 2,000.00–

(क) नगरपालिका सीमा में स्थित भवन में निजी सबमर्सिबल पम्प से पानी उपयोग करने हेतु वार्षिक शुल्क रु0 1,200.00।

(ख) ऐसे भवन स्वामी जो व्यवसायिक सबमर्सिबल पम्प का प्रयोग करते है, इस हेतु वार्षिक शुल्क रु0 2,400.00।

(27) भवन स्वामियों के द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने पर जुर्माना रु0 100.00 प्रति प्रकरण एवं भवन स्वामियों के द्वारा नल की टोटी खुली पाये जाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति प्रकरण।

(28) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा स्वयं या अनुबन्धित संस्था के होने पर यूजर चार्ज के रूप में घरेलू रु0 100.00 प्रति परिवार/प्रति माह, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से रु0 200.00 प्रति प्रतिष्ठान/प्रतिमाह, तथा गेस्ट हाउस या बल्क वेस्ट जनरेटर रु0 1000.00 प्रति गेस्ट हाउस/ प्रति माह की दर से लिया जायेगा। उपरोक्त डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन शुल्क की मासिक रूप से वसूली या गृहकर /जलकर के डिमाण्ड बिल में जोड़कर वार्षिक रूप से वसूली किया जायेगा।

(29) नगर पालिका सीमान्तर्गत श्वान/ सुअर पालकों को नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकरण शुल्क रु0 100.00 प्रतिवर्ष/प्रति श्वान/प्रति सुअर।

(30) नगरपालिका सीमान्तर्गत मुख्य मार्गों के पटरियों पर तथा वार्डों की गलियों वाली सड़कों पर अपने वाहनों को स्थायी रूप से या सुबह-शाम या रात में पार्क करने के कारण होने वाले सार्वजनिक अवरोध पर सम्बन्धित वाहन स्वामी से स्पॉट फाईन रु0 500 प्रतिवाहन/ प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर स्पॉट फाईन रु0 1,000 प्रतिवाहन/प्रतिदिन की दर से वसूल किया जाये।

(31) **निकाय द्वारा निर्मित दुकानों का शुल्क एवं नीलामी प्रक्रिया**–नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, सीमान्तर्गत शासन की किसी निधि या निकाय निधि से निर्मित व्यावसायिक दुकानों या भविष्य में निर्मित होने वाले दुकानों के क्षेत्रफल के आधार पर मासिक किराया तथा नीलामी बोली हेतु आरक्षित विभागीय न्यूनतम जमानत की धनराशि का विवरण निम्नानुसार है–

(क) 100 वर्ग फुट क्षेत्रफल तक छोटी दुकानों से मासिक किराया पन्द्रह सौ रुपये तथा नीलामी बोली हेतु आरक्षित विभागीय न्यूनतम जमानत धनराशि पच्चीस हजार रुपये होगी।

(ख) 100 वर्ग फुट से अधिक 300 वर्ग फुट क्षेत्रफल तक मझौली दुकानों का मासिक किराया पच्चीस सौ रूपये तथा नीलामी बोली हेतु आरक्षित विभागीय न्यूनतम जमानत की धनराशि पच्चास हजार रुपये होगी।

(ग) 300 वर्ग फुट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की बड़ी दुकानें/हॉल का मासिक किराया चार हजार रूपये तथा नीलामी बोली हेतु आरक्षित विभागीय न्यूनतम जमानत की धनराशि एक लाख रूपये होगी। उपरोक्त दुकानों के आवंटन में आरक्षण के शासनादेशों के अनुपालन के पश्चात् दुकानों की वर्गवार क्रमिक ढंग से आरक्षित विभागीय न्यूनतम पगड़ी की धनराशि से नीलामी बोली का प्रारम्भ कर अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में आवंटन की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने पर आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त दुकानों का किराया निर्धारित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व जमा न होने पर उपरोक्त आवंटन आदेश निरस्त करते हुये अवशेष किराये को बारह प्रतिशत वार्षिक की अतिरिक्त दर से जमानत की धनराशि से प्रतिपूर्ति करते हुए वसूल की जायेगी। अन्य शासकीय करों की देयता के साथ विद्युत बिल को सम्बन्धित को देय करना होगा। सम्बन्धित दुकानदार द्वारा किसी प्रकार के तोड़-फोड़ नुकसान करने पर या दूसरे को शिकमी जायेगा तब किरायेदारी पर उठाने या प्रतिबंन्धित व्यवसाय करने पर भी दुकान का आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(32) **विज्ञापन शुल्क तथा शर्तें**–सचिव उ0प्र0 नगर विकास अनुभाग-09 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 618/नौ-09-2012-277ज/2011 दिनांक–05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तथा नगरपालिका बोर्ड द्वारा प्रस्तावित शुल्क दरों का विवरण निम्नानुसार है–

(क) विज्ञापन/विज्ञापन पट्ट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेगें जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, गमनागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुर्क्त हो।

(ख) विज्ञापन पट्टों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(ग) विज्ञापनों को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नहीं जायेगा तथा इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस–पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार से विरूपित न हो।

(घ) विज्ञापन शुल्क दस रूपये प्रति वर्ग फुट/प्रति माह की दर से देय होगा, (अवधि एक दिवस से एक माह तक अधिकतम मान्य होगी।) जिसमें सभी प्रकार के होर्डिंग/बैनर/ग्लोसाईन बोर्ड/साईन बोर्ड/विज्ञापन पट्ट/पोस्टर/बैनर/क्यास/वॉल पेंटिग/यूनीपोल इत्यादि सभी प्रकार के विज्ञापन सम्मिलित है। उपरोक्त विज्ञापन शुल्क की दरें प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् स्वतः तीस प्रतिशत प्रति वर्ग फुट/प्रतिमाह की दर से बढ़ जायेगी, परन्तु यदि नगर पालिका बोर्ड दरों में पुनः कोई संशोधन करना चाहते है, तो पालिका के पास संशोधन का अधिकार सुरक्षित होगा।

(ङ) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भी दशा में जनहित व निकाय हित के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए और उससे सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट/अश्लील/स्वास्थ्य के लिये हानिकारक और आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये। (च) उपरोक्त विज्ञापन शुल्क को निर्धारित दरों पर वसूली विभाग द्वारा स्वतः अपने स्तर से अथवा वित्तीय वर्षवार ठेका खुली नीलामी के माध्यम से उठाया जायेगा। उपरोक्त विज्ञापन शुल्क वसूली ठेका नीलामी हेतु न्यूनतम विभागीय आरक्षित धनराशि तीन लाख रूपये वार्षिक होगा तथा उक्त के नीलामी बोली में उससे अधिक सर्वोच्च बोलीदाता को ही विज्ञापन शुल्क का ठेका निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन दिया जायेगा, तथा प्रत्येक माह विज्ञापन शुल्क वसूली ठेकेदार को नगर क्षेत्र में उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन अधिकतम पांच हजार वर्गफुट विज्ञापन/होर्डिंग/ बैनर इत्यादि लगाने की अनुमति होगी। प्रत्येक माह के किसी भी दिन विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा की जाने वाली आकस्मिक जॉच में विज्ञापन का ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा नगर क्षेत्र में दस हजार वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के विज्ञापन प्रदर्शिनी पाये जाने पर पांच हजार वर्गफुट से अधिक के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर सम्बन्धित माह में दस रूपये प्रति वर्गफुट की दर से अतिरिक्त विज्ञापन शुल्क पालिका कोष में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा विज्ञापन शुॅल्क वसूली ठेका आदेश निरस्त करने की विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

(छ) उपरोक्त विज्ञापन/होर्डिंग/बैनर इत्यादि के ठेके के अतिरिक्त अधिष्ठापित यूनीपोल ठेके का विज्ञापन शुल्क (दोनो तरफ के क्षेत्रफल की गणना पृथक-पृथक की जायेगी), दस रूपये प्रतिवर्गफुट/प्रतिमाह की दर से प्रत्येक माह में विभागीय तरीके से वसूल किया जायेगा।

(33) **डिश एन्टीना शुल्क**–सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9, शासनादेश सं0 406/नौ-9-1997-95जनर/96, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अनुपालन में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत डिश एन्टीना शुल्क प्रस्तावित करती है–

(क) नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी सीमान्तर्गत डिश एन्टीना के माध्यम से टी0वी0 प्रसारण किया जाता है या डिश एन्टीना का व्यवसाय किया जाता है।

(ख) प्रत्येक डिश एन्टीना स्वामी/साझेदार पर उनके दिये गये कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन शुल्क रु0 20.00 प्रति माह लिया जायेगा।

(ग) डिश एन्टीना स्वामी माह के अन्तिम सप्ताह में संचालित कनेक्शन की सूची अनिवार्य रूप से पालिका में उपलब्ध करायेगा।

(घ) कनेक्शनों की जांच/निरीक्षण पालिका के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा कभी भी किया जा सकेगा।

(ङ) केबिल तार इस प्रकार से लगाया जाये जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना/विद्युत आपूर्ति में बाधा की समस्या न हो।

(34) **शो टैक्स**–नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी सीमान्तर्गत मनोरंजन (शो)/टॉकिज के माध्यम से फिल्म/मनोरंजन कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसे स्वामियों से यूजर चार्ज सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु पाँच सौ रुपये प्रति शो/प्रति दिन की दर से या प्रतिमाह अधिकतम रु0 5,000.00 तक शो-टैक्स लिया जायेगा।

(35) नगरपालिका सीमान्तर्गत वेंडिग जोन निम्नानुसार चिन्हित किया जाता है–

(क) मंझनपुर बाजार क्षेत्र,

(ख) समदा बाजार क्षेत्र,

(ग) ओसा बाजार क्षेत्र तथा नान वेंडिंग जोन को निम्नानुसार चिन्हित किया जाता है–

(क) गांधी नगर क्षेत्र,

(ख) हजरतगंज क्षेत्र

(ग) आजाद नगर क्षेत्र।

(36) **शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत निर्धारित बाजार क्षेत्र में लगाई जाने वाली दुकानों से शुल्क**–नगरपालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा बाजार हेतु चिन्हित बाजार क्षेत्र ओसा/समदा/मंझनपुर एवं भविष्य में अधिकृत होने वाले अन्य बाजार क्षेत्र में सड़क, चबूतरा निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, विद्युतीकरण विषयक मूलभूत/आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के बदले शासन द्वारा निर्धारित शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उक्त बाजार क्षेत्र में लगने वाली छोटी दुकानों से रु0 25.00 प्रतिदिन/प्रतिबाजार की दर से एवं बड़ी दुकानों से रु0 50.00 प्रतिदिन/प्रतिबाजार शुल्क वसूली की जायेगी। भविष्य में पालिका सीमा में वेडिंग जोन/बाजार हेतु और भी स्थल चिन्हित होने पर उन स्थलों पर भी शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार शुल्क की दरें प्रभावी मानी जायेगी। भविष्य में शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत चिन्हित बाजार क्षेत्र की वसूली सरकारी कर्मियों से सीधे कराई जायेगी या वार्षिक ठेका नीलामी/निविदा के माध्यम से की जायेगी। भविष्य में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

पार्किंग शुल्क उपविधि, नियमावली, 2021"

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार और प्रारम्भ–(क) यह नियमावली ''पार्किंग शुल्क उपविधि नियमावली, 2021'' कहलायेगी।

(ख) इसका प्रभाव नगर की सीमा के अन्तर्गत पार्किंग स्टैण्ड हेतु अधिकृत स्थलो पर पार्किंग कर सवारी/सामान उतारने व चढाने वाले वाहनो पर पड़ेगा।

(ग) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि होने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषा–विषय या प्रसंग पर कोई बात प्रतिकूल न होने पर–(क) ''नगरपालिका परिषद्'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से होगा।

(ख) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ प्रशासक, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी से होगा।

(ग) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी से होगा।

(घ) ''शुल्क'' का तात्पर्य बस, मिनी बस, जीप, विक्रम, ई-रिक्शा, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर इत्यादि वाहनों के पार्किंग शुल्क से होगा।

(ङ) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(च) ''अनुज्ञापित व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे पार्किंग शुल्क की वसूली का ठेका दिया गया हो और जिसे इस उपविधि के अधीन, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी की सीमा में पार्किंग शुल्क वसूली हेतु प्राधिकृत किया गया हो।

(छ) ''अनुज्ञा-पत्र'' का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है।

(ज) ''वर्ष'' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

नियम–(क) नगरपालिका परिषद मंझनपुर सीमान्तर्गत अधिकृत पार्किंग स्थल पर कोई बस, मिनी बस, जीप, टैम्पो, विक्रम, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ई-रिक्शा इत्यादि विविध वाहनों से उस समय तक सामान/सवारी न चढ़ायेगा और न ही उतारेगा, जब तक वह नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित/अधिकृत पार्किंग स्थल का पार्किंग शुल्क न अदा कर दें।

(ख) मोटर गाड़ियों के चालक/परिचालक तथा मोटर मालिक सम्मिलित रूप से पृथक्-पृथक् इन उपविधियों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(ग) पार्किंग शुल्क की वसूली नगरपालिका द्वारा अधिकृत पार्किंग स्थलों से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के कर्मचारियों के द्वारा की जायेगी अथवा निर्धारित पार्किंग स्थलो की नीलामी/निविदा के माध्यम से की जायेगी। पार्किंग शुल्क वसूली ठेका का कार्यादेश/अनुबंध निर्गत हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पार्किंग शुल्क वसूली करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का होगा तथा निर्वाचन, अन्य किसी शासकीय कारण या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/निर्देश पर यदि पार्किंग शुल्क वसूली बाधित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी अर्थात् निकाय द्वारा जमा की गयी पार्किंग शुल्क नीलामी/निविदा की धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(घ) नीलामी न होने पर कर्मचारियों के द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली करने पर दैनिक वसूली का हिसाब दूसरे दिन कार्यालय नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में जमा करेगा।

(ङ) पार्किंग शुल्क वसूली नीलामी/निविदा की अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

(च) अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक को पार्किंग शुल्क वसूली नीलामी/निविदा की अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(छ) ठेकेदार अपने हर्जे-खर्चे से पार्किंग शुल्क वसूली की व्यवस्था करेगा, प्रत्येक व्यक्ति जिससे पार्किंग शुल्क वसूली करेगा, प्राप्त धनराशि की निर्धारित प्रारूप पर रसीद तुरन्त देगा, जिसमें सम्पूर्ण विवरण अंकित होगा।

पार्किंग शुल्क की निर्धारित दरें सार्वजनिक स्थलों पर लगे बोर्ड पर नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा प्रकाशित होगी। किसी भी प्रकार की आशंका होने पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से सम्पर्क कर शंका का निवारण कर सकता है।

(ज) नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा अनियमितता बरतने पर उसके विरूद्ध तत्काल कानूनी कार्यवाही कर सकेंगे।

स्टैण्ड, पार्किंग शुल्क की दरें–(क) बस, इत्यादि भारी वाहन रु0 100.00 प्रतिदिन।

(ख) मिनी बस इत्यादि मझोले वाहन रु0 70.00 प्रतिदिन।

(ग) जीप, इत्यादि फोर व्हीलर वाहन रु0 40.00 प्रतिदिन।

(घ) विक्रम, थ्री व्हीलर, टैम्पो, ई-रिक्शा इत्यादि छोटे वाहन रु0 30.00 प्रतिदिन।

निम्न वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे–(क) शव ले जा रहे वाहन।

(ख) निर्वाचन, चिकित्सा एवं अन्य शासकीय कार्यो में प्रयुक्त वाहन।

(ग) सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण व उनका घरेलू सामान जो किसी वाहन पर लदा हो।

"टॉवर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि नियमावली, 2021"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–यह उपविधि ''टॉवर स्थापना, नियंत्रण एवं विनयिमन उपविधि नियमावली, 2021'' कही जायेगी।

परिभाषायें–(क) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 से है।

(ख) 'टॉवर' से तात्पर्य रेडियों, दूरदर्शन मोबाइल फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक सा रश्मियां भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊंची संरचना से है।

(ग) 'सेवा प्रदाता' से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता, अनुज्ञापी, संविदा कर्ता, या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टॉवर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो।

(घ) 'भवन' के अन्तर्गत मकान घर के बाहर के कक्ष छादक, झोपड़ी, या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढ़ांचा है चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी धातु या अन्य किसी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिये या अन्यथा प्रस्तुत होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरे, मकानों की कुर्सियों, दरवाजों, की सीढ़ियों, दीवालें तथा हाते की दीवाले और मेंढ़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है।

(ङ) 'भूमि' के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा है अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बधी हुई वस्तुयें और वि अधिकार है जा किसी सड़क के सम्बन्ध विधायन द्वारा सृजित हुये हों।

(च) नगरपालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(छ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हों।

प्रतिषेध–(क) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टॉवर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञावाले व्यक्ति को टॉवर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा।

(ख) पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टॉवर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा, और न ही किसी व्यक्ति, कम्पनी, संस्था या उसके कर्मचारी अभिकर्ता या अनुज्ञापी को ऐसे भवन या भूमि कोई टॉवर न प्रतिष्ठापित करने देगा, न परिनिर्मित करने देगा और न खड़ा करने देगा, न गाड़ने देगा।

(ग) कोई टॉवर इस रीति से स्थापित नही किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–(क) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिससे पांच सौ रुपये का भुगतान करके नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद और वेबसाइड से डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आवेदन पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेन्स अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टॉवर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना, खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना चिपकाया जाना या लटकाया जाना वाछिंत हो।

(घ) आवेदन-पत्र के साथ टॉवर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण, अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(ङ) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि अथवा भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(च) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह टॉवर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(छ) टॉवर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊँचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टीना की संख्या तथा अन्य उपेक्षित सूचनायें और विशिष्टियां अंकित की जायेंगी।

(ज) आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टीफिकेट की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(झ) टॉवर अधिष्ठापित करने हेतु अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

(ञ) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

अुनज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–(1) किसी टॉवर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी–

(क) अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) टॉवर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(घ) सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टॉवर हटा दिया जायेगा।

(ड़) टॉवर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगें परिनिर्मित किये जायेगें, खड़े किये जायेगें गाड़े जायेगें, चिपकायें जायेगें या लटकाये जायेगें। टॉवर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनो पर स्थापित नही किये जायेगें।

(च) टॉवर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नही डाला जायेगा और न ही लोक बाधा अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न की जायेगी।

(छ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे।

(ज) ढ़ाचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित टॉवर को उज्वलशीन सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पूर्जों के वैधुत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिगं सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।

(झ) भूमि अथवा छत पर लगाने वाले बेस ट्रास रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के सम्बन्ध में भवन के ढ़ाचे की डिजाइन तथा टॉवर के आधार के स्थायित्व और सुदृढ़ता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी0बी0आर0आई0 रुड़की या आई0आई0टी0, एन0आई0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरजना अभियन्ता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगी।

(ञ) किसी भवन के छत पर कोई टॉवर इस प्रकार प्रतिष्ठित नही किया जायेगा जिससे छत के उक्त भाग से दूसरे भाग मे मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(ट) कोई टॉवर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(ठ) कोई टॉवर भवन के विद्यमान एलाइनमेन्ट से बाहर किसी भी दशा में नही बढ़ेगा।

(ड) प्रत्येक टॉवर को पूर्णतयः सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन की संरचना जिस पर यह प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप से संवितरित होगें।

(ढ़) विमान पत्तनों के समीप टॉवर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनपत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ण) टॉवर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टॉवर आवासीय क्षेत्र में लगाने से बचा जाय किन्तु जहां यह सम्भव न हो वहां यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जायें।

(त) टॉवर पर लगा एन्टिना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मीटर दूर और निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मीटर की ऊंचाई पर होगा।

(थ) टॉवर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 5 मीटर से कम हो) में नही की जायेगी। टॉवर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नही किये जायेगें।

(द) क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हे यथा सम्भव एक की टॉवर पर स्थापित कराना होगा।

(ध) टॉवर अथवा उस पर स्थापित एन्टिना एक सामान्य जन के पहुँच को समुचित तरीके जैसी कटीले तार, छत पर जाने के दरवाजे, अथवा बाउण्ड्रीवाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षा में लगे कर्मियों को भी यथा सम्भव कम से कम अवधि के लिये टॉवर तक पहुचने की अनुमति दी जायेगी।

(न) टॉवर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप में अंकित किया जायेगाः–विकिरण का खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(प) सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूर संचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार रेडियेशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(फ) प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टॉवर स्थापना के समय स्थल के चारो ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ब) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृष्यंता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां टॉवर लगाने की अनुज्ञा नही दी जाती है।

(भ) जहां इससे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हो वहां अनुमति देय नही है।

(म) आवेदक द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(य) टॉवर की स्थापना, मरम्मत या संबंधित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसमें परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(र) टॉवर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्षित नही किया जा सकेगा।

(ल) भारत सरकार/उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र–प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टॉवर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

सम्पत्ति कर का आरोपण–टॉवर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर नगर पालिका अधिनियम या अन्य शासकीय विधि/उपविधि के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण–अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण उसमें जारी होने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेंगी।

टॉवर के हटाने की शक्ति–यदि कोई टॉवर इस उपविधि के उल्लंघन मे प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशान्ति का कारण हो तो अधिशाषी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है–

(क) टॉवर हटाये जाने का व्यय।

(ख) ऐसी अवधि जिसके दौरान टॉवर प्रतिष्ठापित किया गया था, परिनिर्मित किया गया था, खड़ा किया गया था, गाड़ा गया था, के लिये हुई क्षति की धनराशि।

टॉवर पर निर्बन्धन–किसी संविदा या अनुबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी टॉवर को प्रतिष्ठाकिंत करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नही दी जायेगी–

(क) ऐसी रीति से स्थलों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(ख) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के छोर से 20 मीटर के भीतर।

(ग) अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर।

(घ) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनो, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(ड) जब इससे स्थानीय नागरिकों को सुविधायें प्रभावित और बाधित हो।

(च) किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।

(छ) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा—नगरपालिका, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों क्षेत्र या क्षेत्रों को टॉवर प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

अनुरक्षण—(क) सभी टॉवर जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों, बन्धनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगें जो कि ढ़ाचागत और कलात्मक दोनो ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नही है तो उन पर मोर्चा आदि को रोकने हेतु रंग-रोगन किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टॉवर से अच्छादित परिसर से सफाई, स्वच्छता सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(ग) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्रथमिकता के आधार पर किया जायेग।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति—अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इन निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, माप, या जांच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसे कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति—(क) इस निमित्त वार्षिक शुल्क और प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा किया जा सकेगा जो नगर पालिका सीमान्तर्गत न्यूनतम रु0 10,000.00 प्रति टॉवर प्रतिवर्ष देय होगा।

(ख) वार्षिक शुल्क एकल किश्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक किसी टॉवर को प्रतिष्ठापित करने, प्ररिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने की अनुमति नही दी जायेगी।

(ग) किसी कटौती न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।

(घ) यह शुल्क उन टॉवरों पर लागू नही होगा, जिनकों राज्य सरकार अथवा नगर निकायों द्वारा जन सुविधायें यथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे, प्रकाश यंत्र आदि लगाने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है।

शास्ति और अपराधों का प्रकाशन—(क) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा। (ख) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून

और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशासित किया जा सकता है।

आवेदन पत्र का प्रारूप मूल्य रु0 500.00

1–आवेदक का नाम–.....

2–(एक) अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम–..... फोटो

3–वेब साइड (यदि कोई हो).....

4–पता (एक) अभिकरण प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का पता–.....

(दो) आवेदक का पता–.....

(तीन) दूरभाष संख्या–.....

(चार) ई-मेल–.....

5–आवेदित टॉवर का प्रकार–.....

6–टॉवर का आकार (ऊचाई सहित).....

7–स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति–.....

8–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी का नाम–.....

9–(एक) स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाये।

(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र की दशा में टॉवर स्थापना हेतु देय समस्त शुल्कों के भुगतान का दायी होगा.....संलग्न किया जाये। (तीन) अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित द्वारा अनुमोदित संरचना अभियंता द्वारा दी गयी क्षमता सम्बन्धी रिपार्ट संलग्न की जाये।

10–निर्धारित वार्षिक शुल्क– रु0–.....

11–निर्धारित प्रतिभति– रु0–.....

12–अन्य विवरण.....

संलग्नक..... आवेदक के हस्ताक्षर–.....

स्थान..... आवेदक का नाम–.....

दिनांक–..... आवेदक का पता–.....

ठेकेदारी पंजीकरण उवविधि, 2021

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी की सीमा में नगर के विकास के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं के विधिवत संचालन हेतु ठेकेदारी पंजीयन उपविधि, 2021 बनायी गयी है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशनोपरान्त नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में विविध प्रकार के जनहित के कार्यो निर्माण/अधिष्ठापन/आपूर्ति कार्य के पंजीकरण हेतु प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) "नगर" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(ग) "शुल्क" का तात्पर्य उल्लिखित उपविधि में यथा स्थान प्रदर्शित शुल्क से है।

(घ) "नगरपालिका/नगर पंचायत" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(ड़) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(च) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(छ) "समिति" गठित/निर्वाचित समिति नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(ज) "प्राविधिक अधिकारी" से तात्पर्य नगर विकास, जिला प्रशासन एवं नगरपालिका समिति से नामित अधिकारी से है।

विस्तार—यह उपविधि नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं पर लागू होगी। इस उपनियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार, फर्म एवं निदेशक उद्योग, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र धारी विद्युत ठेकेदार आदि, जो इस उपविधि की अन्य शर्तो को पूरा करते है, नगरपालिका में निविदायें डालने हेतु अधिकृत होगें।

अभिप्राय—पंजीकृत सभी अकेले अविभाजित हिन्दू परिवारों या भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कम्पनी जो सही ढ़ंग से पंजीकृत हो, हेतु खुला है, यद्यपि अविभाजित हिन्दू परिवारों, सभी सार्वजनिक एवं निजी कंपनी की दशा में कोई एक व्यक्ति विभाग के प्रत्येक जिम्मेदारी पूर्ण सम्पर्क हेतु अधिकृत होना चाहिये। ऐसे अधिकृत व्यक्ति अविभाजित हिन्दू परिवारों, फर्म, सार्वजनिक तथा कम्पनी पर मान्य होगी।

कार्यो का वर्गीकरण—ठेकेदारों का पंजीकरण निम्नलिखित कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किसी एक/समस्त वर्गों हेतु की जायेगी :—

(क) भवन निर्माण/भूमि विकास/सड़क, नाली, नाला, आदि सभी प्रकार के निर्माण कार्य।

(ख) सेनीटेशन एवं जलापूर्ति कार्य।

(ग) विद्युतीकरण कार्य।

(घ) कूड़ा प्रबन्धन आदि कार्य।

ठेकेदारो का पंजीकरण निम्नलिखित श्रेणियों हेतु अलग—अलग किया जायेगा :—

(क) प्रथम श्रेणी ठेकेदार

(ख) द्वितीय श्रेणी ठेकेदार

(ग) तृतीय श्रेणी ठेकेदार

(घ) चतुर्थ श्रेणी ठेकेदार

नोट—किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया ठेकेदार उसी श्रेणी में या उससे निम्न श्रेणी/श्रेणियों में निविदा/निविदाओं में भाग ले सकेगा।

ठेकेदार की योग्यता—किसी भी श्रेणी/वर्ग में पंजीकृत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित करने वाला प्रार्थी निम्नलिखित शर्तो को पूरा करेगा—

(क) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नवीनतम हैसियत एवं चरित प्रमाण-पत्र होना चाहिए, तथा उसकी वैधता शासनादेश के अन्तर्गत हो।

(ग) प्रार्थी आयकर दाता होना चाहिए।

(घ) प्रार्थी वाणिज्य एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।

(ड़) प्रार्थी स्वयं तकनीकी योग्यता रखता हो या उसके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी होना चाहिए।

(च) प्रार्थी के पास सफलतापूर्वक कार्यों को सम्पादित कराने का अनुभव होना चाहिये तथा पर्याप्त कार्य सम्बन्धी उपकरण होने चाहिए।

प्रार्थना पत्र घोषणा की विधि –(1) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ दर्शायी गयी धनराशि के अनुसार मूल रसीद, जो कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पक्ष में/उनके कार्यालय में जमा की गई हो, संलग्न करना आवश्यक है।

(2) प्रत्येक ठेकेदारी पंजीयन प्रार्थना-पत्र के साथ योग्यता के अनुसार निम्नानुसार आवश्यक दस्तावेज के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाना चाहिए–

(क) प्रार्थी की स्वयं की तकनीकी योग्यता/तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी का हलफनामा व प्रमाण-पत्र।

(ख) आयकर प्रमाण-पत्र एवं व्यापार कर प्रमाण पत्र।

(ग) प्रपत्र 'ख' के अनुसार अनुभव प्रमाण-पत्र।

(घ) फर्म के नाम प्रार्थना-पत्र प्रेषण की दशा में पार्टनरशिप डीड एवं पंजीकरण की सत्यापित प्रति एवं कंम्पनी के नाम प्रार्थना-पत्र प्रेषण की दशा में डीड ऑफ आर्टिकल्स एसोसिएशन संलग्न करना अनिवार्य है।

(ड़) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, साझेदारी की दशा में प्रत्येक साझेदार को चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम आर्थिक स्थिति हेतु हैसियत प्रमाण-पत्र।

नोट–हैसियत प्रमाण-पत्र बन्धक मुक्त होगा तथा मुख्तारनामा हैसियत प्रमाण-पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

(ज) कार्य वर्गीकरण के अनुसार स्वयं के पास उपलब्ध उपकरणों का विवरण शपथ-पत्र पर देना होगा।

श्रेणीवार पंजीकरण तथा पंजीकरण/नवीनीकरण निर्धारित शुल्क–प्रार्थी को पंजीकरण प्रार्थना-पत्र के साथ उल्लिखित/ठेकदारों के पंजीकरण की श्रेणीवार हैसियत/जमानत/पंजीकरण शुल्क/नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा, जो किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा, का विवरण निम्नानुसार है–

ठेकेदार की श्रेणी	ठेकेदारी हेतु अनुमन्य कार्य की लागत	ठेकेदार की हैसियत प्रमाण-पत्र की क्षमता	जमानत धनराशि	पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क
1	2	3	4	5
प्रथम श्रेणी	चालीस लाख रुपये से अधिक के कार्य हेतु	चालीस लाख रुपये या उससे अधिक	पचास हजार रुपये का बंधक युक्त एफ0डी0आर0	बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष
द्वितीय श्रेणी	बीस लाख रुपये से अधिक से चालीस लाख रुपये तक के कार्य हेतु	बीस लाख रुपये या उससे अधिक	चालीस हजार रुपये का बंधक युक्त एफ0डी0आर0	पन्द्रह हजार रुपये प्रतिवर्ष
तृतीय श्रेणी	दस लाख रुपये से अधिक से बीस लाख रुपये तक के कार्य हेतु	दस लाख रुपये या उससे अधिक	तीस हजार रुपये की बंधन युक्त एफ0डी0आर0	दस हजार रुपये प्रतिवर्ष
चतुर्थ श्रेणी	दस लाख रुपये या उससे कम धनराशि के कार्य हेतु	पांच लाख रुपये या उससे अधिक	बीस हजार रुपये का बंधक युक्त एफ0डी0आर0	पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष

कार्यालय जहां प्रार्थना-पत्र जमा किया जायेगा–ठेकेदारो के पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के यहां/उनके कार्यालय में जमा किए जायेगें।

पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी–विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी का निर्णय किसी में भी विवाद की दशा में अंतिम होगा।

सामान्य जमानत धनराशि–(क) चयनित ठेकेदारों को दर्शाई गई धनराशि के अनुसार सामान्य जमानत पंजीकरण सूचना प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। उक्त समय मे वृद्धि प्रदान किये जाने का अधिकार सक्षम प्रधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा, परन्तु किसी भी दशा में समयवृद्धि एक माह से अधिक प्रदान नही की जायेगी। निर्धारित अवधि तक जमानत धनराशि जमा न किये जाने की दशा में पंजीकरण स्वयं निरस्त समझा जायेगा एवं इस सम्बन्ध में कोई विचार उस वित्तीय वर्ष में नही किया जायेगा।

(ख) सामान्य जमानत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में बंधक एक्ट 'फिक्ड डिपॉजिट' के रूप में जमा की जायेगी।

(ग) उक्त क्रिया के पश्चात् ठेकेदार/ठेकेदार फर्म नगर पालिका में निविदा डालने हेतु अधिकृत होगी, जिसके लिये उसे निविदा धनराशि के सापेक्ष प्रदर्शित धरोहर राशि को जमा करना होगा तथा कार्य स्वीकृति के पश्चात् जमा धरोहर धनराशि को सम्मिलित करते हुए 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करनी होगी, यदि ऐसा नही करेगा, तो भुगतान बीजकों से शेष जमानत की पूर्ति कर ली जायेगी, जो अन्तिम भुगतान तिथि से शासनादेशो में् वर्णित रीति से गुणवत्ता के परीक्षणोपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर वापस की जायेगी अन्यथा जब्त कर ली जायेगी।

(घ) किसी निविदा स्वीकृति के पश्चात् यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध कराकर कार्य प्रारम्भ नही कराया जाता है, तो उस ठेकेदार की जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त करते हुए काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(ड़) सक्षम अधिकारी किसी भी कार्य में ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की दशा में (जैसे कार्य का समय से पूर्ण न होना, कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानक से निम्न स्तर का होना इत्यादि) उस ठेकेदार की सामान्य जमानत धनराशि से कटौती करके पूर्ण कर सकते है, ऐसी दशा में ठेकेदार को अपनी पंजीकरण धनराशि में से कटौती करके कार्यपूर्ण किया जायेगा, ऐसी दशा में ठेकेदार को अपना पंजीकरण चालू रखने हेतु एक माह में उक्त धनराशि अपने सामान्य जमानत धनराशि में जमा करनी होगी।

(च) ठेकेदार को सामान्य जमानत धनराशि उसकी पंजीकरण समाप्ति आदेश के छः माह के भीतर विमोचित कर दी जायेगी।

पंजीकरण प्रक्रिया–समस्त प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के अनुसार नामांकन करके निरीक्षण किये जायेगे, तत्पश्चात् सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अपनी संस्तुतियों एवं आदेश हेतु प्रेषित किये जायेगें। सक्षम प्राधिकारी अपना अनुमोदन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच किसी भी प्रार्थना-पत्र पर करवा सकता है। पूर्णतयः संतुष्ट होने के पश्चात् प्राधिकारी पंजीकरण हेतु संस्तुति ठेकेदारों के द्वारा आवश्यक जमानत जमानत धनराशि जमा करवा दिये जाने की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान करेंगे। यदि संस्तुति अधिकारी/प्राधिकारी किसी प्रार्थना-पत्र से संतुष्ट नही होते है, तो वह समिति के अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशाषी अधिकारी को उन कारणों से अवगत कराते हुए ठेकेदारी प्रार्थना-पत्र विषयक आवेदन को निरस्त कर सकते है। सभी प्रार्थना-पत्र प्राप्ति से मात्र तीन माह के भीतर निस्तारित किये जायेंगे। तीन माह के आदेश न हो पाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वयं निरस्त समझा जायेगा तथा जमा शुल्क वापस नही किया जायेगा।

विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारो की सूची का रख रखाव–नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी विभिन्न श्रेणी वर्ग के ठेकेदारो की अलग-अलग सूची में तैयार करके सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना–अधिशासी अधिकारी द्वारा पंजीकरण हेतु संस्तुति ठेकेदारो की सूची के अनुमोदनोपरान्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर ठेकेदारो को पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र की मान्य अवधि–प्रत्येक श्रेणी/वर्ग के ठेकेदारो हेतु जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र उसी वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा, जिसमें वह निर्गत किया गया हो।

प्रमाण-पत्र नवीनीकरण–पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने से दो माह पूर्व ठेकेदार को प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी को प्रेषित करना होगा। तत्पश्चात् आवश्यक जांचोपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा नये पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जो अगले एक वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा। नवीनीकरण हेतु ठेकेदारो को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्गत अद्यतन हैसियत एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र, आय कर प्रमाण-पत्र, वाणिज्य एवं सेवा कर विभाग में पंजीयन प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क उपरोक्तानुसार जमा करना होगा।

प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति–पंजीकरण प्रमाण-पत्र खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र की प्राप्ति ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित फीस जमा करने पर निर्गत की जायेगी–

प्रथम श्रेणी हेतु चार हजार रूपये, द्वितीय श्रेणी हेतु तीन हजार रूपये, तृतीय श्रेणी हेतु दो हजार रूपये तथा चतुर्थ श्रेणी हेतु एक हजार रूपये मात्र।

पंजीकरण की कुल अवधि–समस्त वर्ग/श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण की कुल अवधि पंजीकरण चालू वित्तीय वर्ष से 31 मार्च तक होगी अर्थात अधिकतम एक वर्ष से अधिक नही होगी एवं पुनः ठेकेदार/फर्म को नये सिरे से आगामी वित्तीय वर्ष में ठेकेदारी पंजीयन/नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा।

ठेकेदारों के पंजीकरण का निरस्तीकरण–ठेकेदारो के पंजीकरण हेतु समिति के अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी के पास पंजीकरण के आदेश को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, परन्तु इस प्रकार के किसी निरस्तीकरण से पूर्व ठेकेदारों को "कारण बताओं नोटिस" पन्द्रह दिवस का देना होगा, ताकि प्रश्नगत ठेकेदार प्राधिकारी को अपनी परिस्थितियों/कारणों की व्याख्या कर सके–

(क) कार्यों का मानक के अनुसार न होना।

(ख) कार्यों का निविदा अनुबन्ध में निर्धारित समय से पूर्ण न कराया जाना।

(ग) ठेकेदारो द्वारा किसी प्रकार के गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना।

(घ) योजना से सम्बन्धित किसी अधिकारी/कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया जाना। अधिशासी अधिकारी, क्रियान्यवन से सम्बन्धित आदेश को अधिकारियों/कर्मचारियों/सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को सूचित करेगें। ऐसे प्रत्येक आदेश का अंतिम अनुमोदन अध्यक्ष/प्रशासक, नगरपालिका परिषद जैसी भी स्थिति हो के द्वारा किया जायेगा।

निरस्तीकरण की सुनवाई–किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त किये जाने पर वह नगरपालिका परिषद समिति/प्रशासक महोदय के समक्ष इस प्रकार के आदेश के खिलाफ सुनवाई हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु केवल उन्ही प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायेगा, जो निरस्तीकरण के एक माह की अवधि में प्रेषित किये गये हों एवं साथ मे रु0 500.00 जमा कर, रसीद मूलरूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

• निर्माण कार्य करने के बीच में यदि कोई ठेकेदार, कार्य अपनी इच्छा से बन्द करे या जानबूझ कर विलम्ब करना चाहता हो और ऐसे में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक को विदित हो जाय व संतुष्ट हो तो ठेकेदार के नाम से स्वीकृत निर्माण कार्य अस्वीकृत किया जायेगा व ऐसे ठेकेदार को, किये गये अधूरे निर्माण कार्य का भुगतान नही होगा। ऐसी स्थिति मे भी ऐसे अधूरे निर्माण कार्य को पंजीकृत ठेकेदारों/फर्म मे से किसी भी एक ठेकेदार/फर्म में से पूर्व स्वीकृत दरों से ही निर्माण कार्य करवाया जायेगा, अथवा निर्माण कार्य के लिये नियमानुसार पुनः टेण्डर आमंत्रित किये जायेगें।

• प्रत्येक ठेकेदार को निर्माण कार्य सम्बन्धी समस्त जानकारी निर्माण स्थल का निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में टेण्डर देने से पूर्व पूर्णरूप से प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

• निर्माण कार्यो के आंकलन (प्रॉक्कलन) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौशाम्बी, उ0प्र0 या अन्य संस्थाओं जो जिले के लिये अधिकृत मानक तालिका के अनुसार ही नगर पालिका के लिये अधिकृत प्राविधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी, प्राविधिक अधिकारी (अवर अभियंता/ सहायक अभियंता) द्वारा निर्मित होगें तथा किसी भी कार्य के करवाने में स्वीकृत मानक तालिका में वर्णित दरों, स्वीकृत निविदा के अन्तर्गत ही ठेकेदारों को भुगतान किया जायेगा।

• निर्माण कार्य सम्पन्न करते समय या निर्माणाधीन स्थिति में कार्यरूप निर्माण में परिवर्तन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, प्राविधिक अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी/प्रशासक या जिला मजिस्ट्रेट में ही निहित होगा। ठेकेदार की इच्छा से स्वीकृत प्लान के बाहर या किसी प्रकार परिवर्तन किये जाने की स्थिति में वर्णित किसी भी विहित प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे निर्माण कार्य को ठेकेदार के जोखिम दरों या जुर्माना, परन्तु जुर्माने की धनराशि स्वीकृत निर्माण कार्य की लागत का 10 प्रतिशत तक ही होगी, निर्धारित कर या तो निर्माण कार्य का तुड़वा दिया जायेगा या रहने दिया जायेगा। ठेकेदार की स्वेच्छा से किये गये निर्माण कार्य का उसको किसी भी दशा में भुगतान नही होगा।

• स्वीकृत निर्माण कार्य में छल, कपट सा किसी अन्य प्रकार से ठेकेदार द्वारा अपने हित जिससे कि उसे अधिक लाभ हो रहा हो या होना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष या प्राविधिक अधिकारी को लागत निर्माण कार्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना करने का अधिकार होगा और कार्य ठीक करवाने बावत नोटिस भी जारी किया जायेगा। पुनः अवहेलना करने पर 10 प्रतिशत की कटौती उसमें अग्रिम भुगतान विल में यह काट ली जायेगी, जो कि किसी भी स्थिति में उसे देय नही होगा।

• ठेकेदार का निर्माण कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में या निर्माण कार्य के दौरान पूरे उपकरणों, वांछित मात्रा में सामग्री का प्रयोग न करने व न पाये जाने पर अध्यक्ष, प्राविधिक अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि तत्काल ही ठेकेदार को नोटिस दे दें एवं काम रोंक दें।

• ठेकेदार के नाम प्रशासनिक स्वीकृति किसी भी निर्माण कार्य को करवाने के लिये दिये जाने से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को आवश्यक होगा कि वह कार्य को पूरा करने हेतु इकरारनामा वांछित स्टाम्प पेपर पर स्वयं क्रय कर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

• प्रत्येक निर्माण कार्य की धनराशि के अुनसार ही 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) निविदा प्रपत्र शुल्क के साथ मय जी0एस0टी0 सहित जो निविदा सूचना विज्ञप्ति में दिया होगा, को सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा जमा करने पर निविदा प्रपत्र क्रय किया जा सकता है। उपरोक्त निविदा प्रपत्र शुल्क की गणना दस के गुणक में मान्य होगी।

• यदि किसी ठेकेदार का कार्य एवं आचरण असंतोषजनक पाया गया या पाया जाय कि ठेकेदार ने नियमों का उल्लंघन किया है या निर्धारित शर्तों का पालन प्राविधिक स्तर से नही किया गया है तो उसका नाम ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में से काट कर अध्यक्ष/ प्रशासक एवं अधिशाषी अधिकारी उसे ब्लैक लिस्ट कर सकते है एवं भविष्य में उसे निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित भी किया जा सकता है।

• ठेकेदार को नगर पालिका के अध्यक्ष, प्रशासक, प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता की हिदायतों का पूर्ण पालन करना होगा एवं ये सभी अधिकारी व प्राविधिक अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकतें है, त्रुटियों के अनुपालन हेतु निर्देश दे सकतें है, कार्य को घटा या बढ़ा सकते है या वांछित परिवर्तन हेतु लिख सकते है जिसका कि अक्षरशः पालन ठेकेदार को करना होगा।

• निविदा प्रपत्र में वर्णित व उल्लिखित शर्तों का अनुपालन जैसे भी सामूहिक सा परिवर्तन की शर्तों का अनुपालन करना अंकित होगा, ठेकेदार को मान्य होगा।

• नगरपालिका परिषद् के समस्त निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों के लिये प्रयुक्त उपकरण, साज सामग्री का निर्माण स्थल पर पायी जाने वाली निर्माण सामग्री पत्थर, ईट, बजरी आदि पहले से पड़ी हो तो उसका प्रयोग करने की स्थिति में अध्यक्ष/प्रशासक को अधिकार होगा कि उसकी कीमत निर्धारित कर ठेकेदार के बिल से काट लें, ठेकेदार को कोई आपत्ति नही होगी। इसके अतिरिक्त यदि निर्माण स्थल से जो भी उपकरण आदि हटवाने की आवश्यकता होगी और जिसका प्रयोग करना ठेकेदार को जायज न होगा, ऐसे सामान या निकाली हुई सम्पत्ति को ठेकेदार को कार्यालय में जमा करनी होगी, अन्यथा ऐसी सामग्री उपकरण आदि की कीमत जो तय की जायेगी, ठेकेदार से वसूल की जायेगी या उसके अग्रिम या नवीनतम बिलों में से काटी जायेगी।

• निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् किये गये निर्माण कार्य के मूल्य या लागत जिसका कि माप प्राविधिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा व माप पुस्तिका में अंकित होगा, के कार्य का भुगतान जैसा भी उचित समझा जायेगा ठेकेदार की कार्य की प्रगति देने व सुविधा के दृष्टिकोण से अग्रिम भुगतान भी देय होगा।

• यदि ठेकेदार निर्धारित कार्य को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूरा करके नही देता तो अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि सार्वजनिक निर्माण कार्य/अन्य कार्य, को जनहित में 10 प्रतिशत तक विलम्ब से तैयार करने का आर्थिक दण्ड दिया जायेगा, लेकिन किन्ही परिस्थितियों में समय वृद्धि भी दी जानी मान्य समझी जायेगी। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिये अन्तिम भुगतान के लिये संस्तुति एवं प्रस्तुतीकरण करने से पूर्व ठेकेदार के द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य के प्राविधिक स्तर से प्राविधिक अधिकारी द्वारा ही कार्य संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण मानक के अन्तर्गत आगणन में दी गयी विशिष्टियों के अन्तर्गत हुआ है, ने इस आशय का प्रमाण पत्र दे दिया हो, प्रमाण-पत्र के अभाव में अंतिम भुगतान बिल को प्रशासकीय स्वीकृति नही ली जायेगी और न ही भुगतान देय होगा।

• कार्य ठीक पाये जाने, रहने या टूट फूट न होने की स्थिति में कार्य के निमित्त जमा की गयी जमानत की धनराशि जो कि ठेकेदार के द्वारा या बिलों के माध्यम से 10 प्रतिशत काटी गयी धनराशि तभी ठेकेदार को देय होगी जब तक शासनादशों में अनुरक्षण की अवधि समाप्त न हो जाय। एक वर्ष की अवधि से तात्पर्य ठेकेदार को अंतिम भुगतान किये जाने की तिथि से मानी जायेगी। निर्माण कार्य ठीक न रहने पर व टूट फूट होने की स्थिति में जमा जमानत धनराशि तभी देय होगी जब तक की ठेकेदार ऐसे त्रुटिपूर्ण कार्य को पूर्ण नही कर लेता, अन्यथा ऐसी समस्त मरम्मत कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा प्राविधिक अधिकारी के नेतृत्व में करवा दिया जावेगा या धरोहर/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

• उपविधि की उपरोक्त किसी भी उपधारा में किसी प्रकार का संशोधन नगर पालिका परिषद की समिति में संकल्प पारित के उपरान्त ही किया जायेगा, प्रतिबंध होगा कि निर्धारित शुल्क में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।

• लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमावली के यदि कोई बिन्दु इसमें छूटा हो तो मान्य होगा।

• अधिशासी अधिकारी/ अध्यक्ष/ उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होगें।

• देयक से नियमानुसार काटी जाने वाली आयकर, वाणिज्य कर, खनिज आदि अन्य विविध कर की काटौती मान्य होगी।

• समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेश फर्म/ठेकेदार पर लागू होंगे।

• शासन द्वारा ई-टेण्डर नियमावली/प्रक्रिया एवं जेम पोर्टल पर क्रय सम्बन्धित निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश, शासनादेश अक्षरशः मान्य होगे तथा उपरोक्त निर्देशो के अनुपालन में उपरोक्त ठेकेदारी पंजीयन नियमावली में किसी प्रकार के विरोधाभाष की स्थिति में ठेकेदारी पंजीयन नियमावली के प्राविधान उस स्तर तक शून्य माने जायेगे।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–इस उपविधि का नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि, 2021" कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

प्रसार–उपरोक्त उपविधि नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के सीमाओं के अन्तर्गत प्रभावी होगी।

प्राधिकारी–उपरोक्त उपविधि में प्रयुक्त "अध्यक्ष/प्रशासक" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के अध्यक्ष/प्रशासक से है तथा "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी से है। उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत आरोपित यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन को आरोपित करने का अधिकार "अधिशासी अधिकारी" में या उनके द्वारा अधिकृत किसी टैक्स कलेक्टर, लिपिक या किसी अन्य कर्मी में अंतर्निहित होगा।

उपरोक्त उपविधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु आरोपित यूजर चार्ज/स्पॉट फाईन/प्रशमन शुल्क की दरें निम्नानुसार है–(1) व्यक्ति या समूह या संस्था के द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को फेकना/जानवरों को बॉधना या खिलाना/वाहनों की धुलाई/कपड़े धोना/सार्वजनिक स्थल नदी तालाब, कुंआ इत्यादि में गंदगी फैलाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(2) मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(3) घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्गदर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टॅर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00),

(4) पालतू पशुओ को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(5) नाले, नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गंदगी करने/कराने या गंदगी फैलाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 5,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 10,000.00)।

(6) डस्टविन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(7) किसी परिसर में चौबीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये कूड़ा करकट को बनाये रखने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1000.00)।

(8) कानून का उल्लंघन करते हुये शव का अनियमित निस्तारण करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 2000.00)।

(9) अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 2,000.00),

(10) प्रतिबन्धि पॉलीथीन/थर्माकोल आइटम्स का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर–

(क) 40 माईक्रोन मोटाई से कम मोटाई की पॉलीथीन का प्रयोग करने पर पेनॉल्टी/जुर्माना शुल्क एक सौ रुपये प्रति प्रकरण की जगह सभी प्रकार की मोटाई वाले पॉलीथीन/प्लॉस्टिक के साथ ही थर्माकोल से निर्मित कैरी बैग, कप, प्लेट, दोना, गिलास, चम्मच, इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादों का प्रयोग करने पर पेनॉल्टी/जुर्माना शुल्क क्रमशः 100 ग्राम तक के वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1000.00)।

(ख) 100 ग्राम से अधिक व 200 ग्राम तक के वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 2000.00)।

(ग) 200 ग्राम से अधिक वे 500 ग्राम तक के वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 2,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 4000.00)।

(घ) 500 ग्राम से अधिक व 1000 ग्राम वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 5,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 10,000.00)।

(ङ) 01 किलोग्राम से अधिक व 05 किलोग्राम वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 10,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 20,000.00)।

(च) 05 किलोग्राम से अधिक वजन पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 25000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 50,000.00)।

(11) बिना पृथक्करण किये हुये तथा बिना अलग-अलग निर्धारित डस्टबिन में रखे हुए कूड़े का सौपना–

(अ) व्यक्तिगत भवन यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 100.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 200.00)।

(ब) दुकान/हॉल/शापिंग काम्पलेक्स यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 2,000.00)।

(द) मैरिज लॉन/इवेंन्ट आर्गेनाइजर्स यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 2,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 5000.00)।

(12) बृहद अपशिष्ट उत्सर्जकों (100 किलो ग्राम से अधिक प्रतिदिन) के द्वारा अपशिष्ट के उपचार हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 5,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 10,000.00)।

(13) विनिर्दिष्ट परिसंकट मय अपशिष्ट (हेजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 2000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 5000.00)।

(14) बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 2,000.00)।

(15) विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 2,000.00)।

(16) बायोमेडिकल अपशिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 2,000.00)।

(17) भवन निर्माण सामग्री और ढहाने (मलवा) के अपशिष्ट का यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 2,000.00)।

(18) ठोस अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(19) उघान अपशिष्ट और पेड़ो की छटॉई के कूड़ो को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(20) सार्वजनिक स्थल पर अपशिष्ट जलाकर कूड़ा निस्तारण करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(21) खुले मे/सार्वजनिक स्थान पर शौच करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 100.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 500.00)।

(22) खुले में/सावर्जनिक स्थान पर मूत्र विसर्जन करने या थूकने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 100.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 500.00)।

(23) पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों, सड़कों, पार्क में कराने या डालने या फेंकने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(24) घरेलू अपशिष्टों से भिन्न मछली, मुर्गा या अन्य मांसाहारी जानवरों के अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट तरीके से डिलीवरी न करने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(25) बिना डिब्बा में/अपशिष्ट टोकरी के ठेले/फेरीवाले/फुटपाथ या किसी अन्य जगह पर सब्जी या फल के दुकानदारों के द्वारा अपशिष्ट फैलाने परयूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1000.00)।

(26) व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत रूप से पानी बहाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(27) सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह/ भंण्डारा /लंगर इत्यादि के पश्चात् चौबीस घण्टे के भीतर सफाई न कराये जाने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 5,000.00)।

(28) नगरपालिका द्वारा स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत डोर टू डोर कलेक्शन एजेन्सी को कूडा न देने पर (प्रत्येक बार) यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 100.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 500.00)।

(29) ऑटो मोबाईल सर्विस सेन्टर/टू व्हीलर/फोर व्हीलर/स्पेयर पार्टस बेंचने वाले दुकानदारों की मरम्मत के दौरान कोई भी कूड़ा प्लास्टिक, पैकिगं मैटीरियल इत्यादि सड़क पर छोड़ने पर दुकान संचालकों पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 500.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 1,000.00)।

(30) होटल, रेस्टोरेन्ट, चाट, अंण्डा, नॉनवेज, चाय, समोसा, पकौड़ी, मिष्ठान, आईस स्क्रीम, इत्यादि खाद्य पदार्थ बेंचने वाले अथवा उनके ग्राहकों द्वारा सड़क पर कूड़ा छोड़े जाने वाले दुकानदारों पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 100.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 500.00)।

(31) बिल्डिंग मैटीरियल/मलबा सार्वजनिक स्थल/सड़क पर डालने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 1,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 5,000.00)।

(32) सेप्टिक टैंक क्लीनिग मशीनों का एकत्रित सीवेज को सीवेजट्रीटमेन्ट प्लांट/सीवेज पम्पिंग स्टेशन या निकाय द्वारा उक्त हेतु अधिकृत स्थल के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक स्थलों/नालों/नदियों इत्यादि में डालने पर यूजर चार्ज/प्रशमन शुल्क/स्पॉट फाईन रुपये 5,000.00 (पुनरावृत्ति पर रुपये 10,000.00)।

शवदाह गृह संचालन उपविधि, 2021

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार और प्रारम्भ—(क) यह नियमावली दुकानों एवं व्यवसायों को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी शवदाह गृह संचालन उपविधि, 2021" कही जायेगी।

(ख) यह उपविधि सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी सीमान्तर्गत लागू होगी।

(ग) व्यवसाय दुकान का तात्पर्य किसी एक से क्रय/विक्रय स्थल से है, जहां कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी उत्पादन का क्रय/विक्रय, स्वयं करता या करवाता है।

(घ) दुकानदारों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके स्वामित्व में किसी दुकान अथवा व्यवसाय का संचालन होता है।

परिभाषाएं—(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) "नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(ग) "अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(घ) "अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

नियम व शर्तें—1—शवदाह गृह में अंतिम संस्कार शुल्क (जिसमें सफाई, फूल चुनना, पूजन एवं गोदान किया जाना सम्मिलित है) मु0-500.00 (पांच सौ रुपये) मात्र होगा।

2—शवदाह गृह में लकड़ी की दरों एवं समस्त संस्कार शुल्क अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3—नेत्रदान/अंगदान/देहदान करने वाले के दाह संस्कार हेतु कोई शुल्क नही लिया जायेगा तथा लावारिस शवों को भी दाह संस्कार विद्युत शवदाह गृह में निःशुल्क किया जायेगा।

4—युद्ध में शहीद/पदक धारक जवान आदि सम्मानित व्यक्तियों का दाह संस्कार निःशुल्क किया जायेगा।

5—शहदाह गृह में दाह संस्कार कराने वाले पण्डों/पुजारी का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क/नवीनीकरण शुल्क वार्षिक मु0 रुपये 300.00 होगा। नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर में हुए नवीन पंजीकरण एवं विगत वित्तीय वर्ष में हुए पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष उपरोक्त निर्धारण शुल्क जमा कर किया जायेगा। यदि किसी पण्डा/पुजारी के द्वारा नियमावली का उल्लंघन किया जायेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन, अधिशासी अधिकारी के द्वारा निरस्त कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

6—दाह संस्कार के समय बिना पंजीकरण कराये यदि कोई पण्डा/पुजारी दाह संस्कार कराते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्यवाही की जायेगी। सभी पण्डा/पुजारी को फोटो युक्त परिचय-पत्र अपने पास रखना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य नियम व शर्ते जो नगरपालिका के द्वारा लागू किये जायेगें, वे स्वतः प्रभावी समझे जायेगें।

7—लकड़ी की दर व संस्कार शुल्क निर्धारित दरों से अधिक वसूल किये जाने पर सम्बन्धित से मु0 2,000.00 आर्थिक दण्ड (जुर्माना) आरोपित किया जायेगा। तीन बार व उससे अधिक बार शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित का शवदाह गृह परिसर/स्थल में प्रवेश वर्जित कर दिया जायेगा।

8—प्रत्येक शवदाह गृह पर लकड़ी के ठेकेदार, साथ-साथ पंजीकृत पंण्डों के नाम व समस्त निर्धारित संस्कार शुल्क एवं लकड़ी के मूल्य का विवरण होर्डिगं एवं साइन बोर्ड के द्वारा अंकित किया जायेगा।

9—प्रत्येक पंजीकृत पण्डा/पुजारी को नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा उनका नाम/पता एवं उनका पंजीकरण संख्या का उल्लेख करते हुए फोटो युक्त परिचय-पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें अनुमन्य अवधि भी अंकित होगी।

नोट—1—लकड़ी का मूल्य रु0 600.00 प्रति कुन्तल की दर से बेची जायेगी, जिसमें बाजार दरों में परिवर्तन होने पर नगरपालिका परिषद्, अधिशाषी अधिकारी द्वारा पुनः लकड़ी व दरों को संशोधित किया जायेगा, यदि लकड़ी की दर का निर्धारण एक वर्ष बाद नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी अधिशासी अधिकारी द्वारा नही किया जाता है तो उसकी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि (अधिकतम एक सौ रुपये तक) स्वतः मान लिया जायेगा।

2—यदि संस्कार शुल्क का निर्धारण एक वर्ष बाद नही होता है तो उसकी दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि (अधिकतम एक सौ रुपये तक) स्वतः मान लिया जायेगा।

मच्छर जनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि, 2021

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार और प्रारम्भ—(क) यह नियमावली दुकानों एवं व्यवसायों को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी मच्छर जनक स्थितियॉ पैदा करनें वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उपविधि, 2021" कही जायेगी।

(ख) यह उपविधि सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी सीमान्तर्गत लागू होगी।

(ग) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

परिभाषाएं—(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) "नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

(ग) "अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(घ) "अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी से है।

नियम व शर्तें—1—प्रतिशेध—कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में—(क) पानी को ऐसे जमा नही होने देगा या बहने देगा कि उसमें मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिंग) कर सके या उनके उसमे प्रजनन करनें की सम्भावना हो।

(ख) इस क्षेत्र में न तो खुद पानी जमा होने देगा और न दूसरे को ऐसा करनें की इजाजत या अनुमति देगा और न ही किसी प्रकार से पानी को कहीं जमा या संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हों या उनके पैदा होने की सम्भावना हों। ऐसा वह उसी हालत में होने देगा जब उस पानी का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेन्ट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा ही न हो पायें।

2—**जन विज्ञापन**—किसी भी स्थिर पानी या बहते पानी के जल स्त्रोत (वाटर बाडी) में यदि लार्वा पाये जायें तो वह इस बात के प्रमाण होंगें कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

3—**मच्छरों के प्रजनन स्थलों (ब्रीडिंग प्लेसेस) का कीटनाशी उपचार**—धारा 3 (क) अधिशासी अधिकारी जिन रुके या बहते हुये पानी के स्थानों में जहां मच्छर पनप रहे हों या उनके पनपने की सम्भावना हों उन स्थानों के स्वामियों (ओनरों), अभिग्राहियों (आक्यूपायरों) को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में जों (चौबीस घण्टों से कम नही) भौतिक रासायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे अधिशाषी अधिकारी उचित समझते हो, उन प्रजनन स्थलों को उपचारित (ट्रीट) करवायेंगे। धारा 3 (ख) यदि उपविधि धारा 3 (क) के अन्तर्गत अभिग्राही (आक्यूपायर, किरायेदार, लीज आदि पर आवास लेने वाले) को नोटिस दिया जाता है तो मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गयी उचित धनराशि मांग सकता है अथवा उस किराये में काट सकता है जो उसे मकान मालिक को देना है।

4—**व्यतिक्रम अथवा चक्र पर कार्यवाही**—यदि उपविधि की धारा 3 (क) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किये गये, बताये गये उपाय करनें से इनकार कर देता है या नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट समय में नही करवा सकता है और इसका खर्च जैसी भी स्थिति हो मालिक या किरायेदार से वसूल कर सकता है मानो वह सम्पत्तिकर का बकाया हों।

5—**मच्छर रोधी संरचनाओं की सुरक्षा**—किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिये सरकार ने स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निर्देश से अभिग्राही (आक्यूपायर) नें यदि कोई निर्माण करवाया है तो

अधिशासी अधिकारी उस जमीन या भवन का उपयोग किसी ऐसे काम के लिये रोक सकता है जो मच्छर रोधी इस संरचनाओं को नुकसान पहुचायें या कुशलता में गिरावट लाये।

6–**मच्छर निवारण नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक**–अधिशासी अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु जो उस स्थान पर या उस भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये बनी हो या रखे हों किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नही करेंगा न उसे बिगाड़ेगा, न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस विधि का उल्लंघन किया जाता है तो अधिशासी अधिकारी फिर उस रचना (स्ट्रक्चर) को बनवायेगा या उस सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्चा उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानों वह सम्पत्तिकर का बकाया है।

7–**प्रत्येक पात्र**–घर/भवन/शेड या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल,बर्तन, बाल्टी का डिब्बा या अन्य कोई पत्थर साबुन या टूटी हुयी सामग्री इस तरह से नही रखेगा कि उस में पानी जमा होनें की सम्भावना हो या पानी भरा रहें, जिससे उसमें मच्छर पैदा हों।

8–**निर्माण कार्य**–निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण करनें, रेलवे लाइन डालने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोरपिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहें। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हों इन बोरपिटों के किनारों को साफ रखा जाय। बोरपिट के तलें में इस प्रकार का ढ़ाल व स्लोप दिया जाय कि नालियों में पानी एक बोरपिट से निकलकर दूसरे में चला जाय और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाय। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई बोरपिट नही बनवायें जिसमें पानी जमा हों और मच्छर पैदा हों।

9–**अधिकारिता**–यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद हो या इन उपायों के अन्तर्गत कोई ऐसा निर्माण कार्य हों जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी उलझी हों तो इस मामले में भारत सरकार का फैसला अन्तिम होगा।

10–**नगरपालिका/स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिसर (प्रेमिसेज) में प्रवेश करनें व निरीक्षण करनें का अधिकार**–इन उपविधि में परिवर्तन हेतु अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी/सफाई नायक के द्वारा उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर नगर पालिका कर्मी या स्वास्थ्यकर्मी घरों मे प्रवेश कर सकेगा। अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन/भवन में प्रवेश और इस भवन का मालिक या किरायेदार जैसा भी हों, इस प्रवेश और निरीक्षण में अपनी पूरी सहायता देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मलेरिया नियंत्रण कार्य में जरुरत है।

11–**जुर्माना**–नगरपालिका सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/समूह/संस्था इत्यादि के द्वारा उपविधि में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लघन करनें पर प्रथम बार जुर्माना रु0 500.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर जुर्माना रु0 1,000.00 से रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण तक हो सकता है, की दर से देय होगा।

भू-भवन मानचित्र उपविधि, 2021

यह नियमावली ''भू-भवन मानचित्र उपविधि, 2021'' कहलायेगी। यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी की सीमा में प्रभावी होगी।

परिभाषायें–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी से है।

''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी के बोर्ड/समिति से है।

''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

''नगरपालिका परिषद् मंझनपुर'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी से है।

''नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

''भवन/भूखण्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका की सीमा में स्थित भवनों/गृहों/भूखण्डों आदि से होगा अर्थात् वह सभी अहाते, उपघर आदि तथा यदि एक परिसर में कई भवन स्थित है, तो इसे परिसर के सभी भवनों को भूमि सहित भवन कहा जायेगा।

"व्यवसायिक भवन" का तात्पर्य जिस भवन में किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता हो।

"गोदाम" का तात्पर्य जिस भवन में क्रय विक्रय के लिए किसी भी प्रकार का माल एकत्र किया जाता हो तथा रखा जाता है।

"रिहायशी भवन" का तात्पर्य जिस भवन में कोई परिवार रहता हो या परिवार के रहने के योग्य हो।

"सामाजिक भवन" का तात्पर्य जो किसी भी सरकारी कार्यालय के रूप में अस्पताल, विश्राम गृह, स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय या अन्य किसी शासकीय प्रयोग में आता हों।

"हाल" का तात्पर्य भवन के अन्दर या बाहर बडा कमरा जो सामूहिक प्रयोग के लिए बनाया गया हो जिसकी लम्बाई 5 × 5 वर्ग मीटर से कम न हो।

"कमरा" का तात्पर्य भवन का वह कमरा होता है जो सोने बैठने व अन्य किसी प्रकार के कार्यो में प्रयोग होता हो जिसका माप कम से कम 4 × 3 वर्ग मीटर होगा।

"स्टोर" का तात्पर्य वह कमरा जिसमे गृहस्थी का सामान एकत्रित किया जाता है जिसकी नाम कम से कम 3 × 2 वर्ग मीटर हो।

"रसोई" का तात्पर्य जो कमरा केवल खाना बनाने के प्रयोग में आता हो।

"स्नानगृह" का तात्पर्य जो नहाने व कपडे धोने के लिए प्रयोग किया जाता है।

"बरामदा" का तात्पर्य भवन का वह भाग जो केवल पिलर पर डाला गया हो और आगे से बन्द न हो।

"शौचालय" का तात्पर्य जो शौचालय के लिए प्रयोग होता है।

"चक आवश्यक" का तात्पर्य इसके द्वारा मकानो के बीच का पानी सरकारी नालो में प्रवेश करता हो और दोनो नजदीकी मकानो की रोशनी की सुविधा हो चौडाई 1 (एक) मीटर।

"वेन्टीलेटर" का तात्पर्य कमरा बन्द हो जाने के बाद जिसमे स्वच्छ हवा का प्रेशर होता है और दरवाजे की उॅचाई से अलग लगा हो।

"छज्जा" का तात्पर्य वह ऊपरी भाग जो धूप-पानी रोकने के लिए छत से लेवल पर बाहर निकाला गया हो।

"खिडकी" का तात्पर्य वह स्थान जिसके द्वारा दो कमरे मिल सकते है या हवा आदि के लिए मेन रास्ते पर भी खुलती हो।

"मोरी" का तात्पर्य जिसके द्वारा धुलाई इत्यादि का पानी कमरे से बाहर निकलता हो।

"वाटिका" भवन का वह खुला भाग जिसमें साग सब्जी व फुलवारी लगाई गयी हो।

नियम व शर्ते–नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति नगर पालिका के बिना पूर्व अनुमति के कोई भी भवन निर्माण न कराएगा न ही किसी प्रकार के भवन के रूप को स्वीकृति देगा।

• नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी–(अ) स्वीकृति हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर होगा।

(ब) प्रार्थना पत्र के साथ दो स्केली मानचित्रों में भूमि का पूर्ण विवरण दिय जायेगा।

(स) यह विवरण नवनिर्माण, मरम्मत या फेरबदल के सम्बन्ध में दिया जायेगा।

(द) अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र लगा होना आवश्यक है।

(य) भूमि जिस पर निर्माण होना है वह सम्बन्धित के नाम राजस्व अभिलेखो में होना आवश्यक है।

(र) नक्शा ग्राफ पेपर व ब्लू प्रिंट होंगे और तीसरा नक्शा जो नगर पंचायत में रखा जायेगा वह क्लाथ पेपर होगा।

• यह कि भवन निर्माण सरकारी सडक व नाली के बाहरी किनारे से 5 फीट भूमि को छोडकर किया जाएगा तथा तंग गालियो में 3 फीट भूमि छोडकर किया जायेगा।

• यह कि भवन के निर्माण में पूर्णतः जगले व वेंटिलेटर होना चाहिए जिससे धूप व हवा का आवागमन रहे एवं इस प्रकार का जंगला या खिडकी न हो जिससे बराबर में रहने वालों को बेपर्दगी हो।

• यह कि भवन से निकलने वाला अतिरिक्त जल की निकासी हेतु भवन स्वामी पाइप द्वारा सरकारी नाली तक पहुचाएगा। यदि नाली नही है तो भवन में ही शोकपिट का निर्माण किया जायेगा।

• यह कि भवन में वर्षा जल संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है।

प्रक्रिया–प्रार्थी द्वारा दिए गये प्रार्थना-पत्र को सर्वप्रथम निर्माण रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तत्पश्चात राजस्व विभाग द्वारा रिपोर्ट ली जायेगी, जिसके पश्चात् उस भूमि पर किसी प्रकार के बकाया जैसे गृहकर, जलकर, जलमूल्य आदि अवशेष नही होना चाहिए, कि स्थिति में अग्रिम विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

• भवन नक्शा स्वीकृति हेतु अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष समक्ष अधिकारी होगा तथापि नक्शे की जॉच किसी भी समय आर्किटेक्ट/अवर अभियंता (सिविल) के द्वारा करायी जा सकती है जिसका मूल्य भवन मालिक को देना होगा।

• भवन नक्शे की स्वीकृति अवधि एक (01) वर्ष की होगी। इस अवधि में निर्माण न होने पर पुनः एक हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से नवीनीकरण शुल्क जमाकर पुनः भवन मानचित्र /नक्शा आज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना होगा।

• भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद अथवा किसी भी माननीय न्यायालय का प्रतिकूल आदेश होने पर नक्शा स्वतः अस्वीकृत समझा जायेगा तथा विवाद समाधान हो जाने पर पुनः नक्शा स्वीकृत कराना होगा।

• भवन निर्माण पूर्ण होने पर आवेदक नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी को अवगत करायेगा तथा कम्पलीशन सर्टिफिकेट अथात् मकान पूर्ण होने का प्रमाण पत्र देना होगा, इसके बाद ही भवन रहने योग्य माना जाएगा।

भू-भवन मानचित्र/नक्शा आज्ञप्ति निर्माण शुल्क की दरें–आवासीय भवनों से 01 रूपये प्रति वर्ग फिट या 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, जो न्यून हो तथा व्यवसायिक भवनों से 10 रुपये प्रति वर्ग फिट या 100 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो न्यून हो भू-भवन मानचित्र/नक्शा आज्ञप्ति निर्माण शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

• उपरोक्त मे क्षेत्रफल एक मंजिल का है, अधिक मंजिले बनाने पर क्षेत्रफल उसी अनुसार बढता जायेगा।, धार्मिक संस्थानो/सामाजिक संस्थानों/निर्जन प्लाट (भूखण्ड) आदि से उपरोक्तानुसार शुल्क की दरे 1/2 (आधी) ली जायेगी।

भू-भवन मानचित्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क–नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में सम्मिलित जिन राजस्व ग्रामों में आवास विकास विभाग के द्वारा निर्गत विनियमित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान प्रभावी है, ऐसे क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भू-भवन मानचित्र/नक्शा स्वीकृत करने के पूर्व निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) मांगे जाने पर नियमानुसार जांच के पश्चात् निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के पूर्व निम्नानुसार सम्बन्धित से अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क–

आवासीय भवनों से 01 रुपये प्रति वर्ग फिट या 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, जो न्यून हो तथा व्यवसायिक भवनों से 10 रुपये प्रति वर्ग फिट या 100 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो न्यून हो, अनापत्ति शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

धार्मिक संस्थानों/सामाजिक संस्थानों/निर्जन प्लाट (भूखण्ड) आदि से उपरोक्तानुसार अनापत्ति शुल्क की दरें 1/2 (आधी) ली जायेगी।

नोट–सड़क पर मलबा आदि डालने पर यदि सामान्य नागरिकों को असुविधा होती है, तो उसे तुरन्त हटाना होगा।

• किसी विवाद पर रद्द हुए नक्शे या अन्य कारणों से रद्द नक्शे पर जमा धनरशि वापस नही की जायेगी।

• नक्शा स्वीकृति को स्वामित्व से सम्बन्धित नही माना जायेगा। नक्शे के आधार पर स्वामित्व की मॉग नही की जायेगी।

• सरकार द्वारा पारित अधिनियम जैसे–सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एक्ट, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमालिशन वेस्ट अनिधियम तथा वर्तमान या भविष्य में निर्मित होने वाले अन्य सभी शासकीय निर्देश/नियम/अधिनियम के प्रावधानों में विरोधाभास हो तो केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देश/नियम/अधिनियम के प्राविधान प्रभावी माने जायेगे।

सुनील कुमार मिश्र,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, मंझनपुर,
कौशाम्बी।

कार्यालय, आदर्श नगर पंचायत निचलौल, जनपद महराजगंज

13 मार्च, 2021 ई0

सं0 684/न0पं0नि0/2020-21—नगर पंचायत, निचलौल, जनपद महराजगंज में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, निचलौल, जनपद महराजगंज के अन्तर्गत पार्किंग फीस/टैक्सी स्टैण्ड की वसूली हेतु उपविधि बनायी गयी थी, जो 01 अप्रैल, 1986 से नगर पंचायत, निचलौल में लागू थी, जिसको वर्ष 2012 में दरों का संशोधन किया गया था। नगर पंचायत, निचलौल के बोर्ड बैठक दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के प्रस्ताव संख्या 05 के आधार पर पुनः पूर्व में निर्धारित दरों में आंशिक संशोधन/बढ़ोत्तरी कर प्रस्ताव पारित किया गया है। जिससे नगर पंचायत, निचलौल, जनपद महराजगंज में टैक्सी स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क संशोधित उपविधि, 2021 बनायी गयी है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 05 फरवरी, 2021 को ''दैनिक जागरण'' व दिनांक 05 फरवरी, 2021 को ''राष्ट्रीय सहारा'' में प्रकाशित कराया गया। निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कोई आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार तैयार किये गये उपविधि को पृष्टीकृत माना जाता है।

संशोधित उपविधि

1—**संक्षिप्त नाम**—यह उपविधि नगर पंचायत, निचलौल, जनपद महराजगंज में टैक्सी स्टैण्ड/पार्किंग शुल्क संशोधित उपविधि, 2021 कहलायेगी।

2—**प्रसार**—इसका प्रसार नगर पंचायत, निचलौल के सम्पूर्ण सीमा में होगी।

3—''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत, निचलौल, जनपद महराजगंज से है।

4—अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत, निचलौल के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5—''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत, निचलौल के अधिशासी अधिकारी से है।

6—यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

7—नगर पंचायत, निचलौल के अन्तर्गत कोई सवारी, लारी बस, ट्रक, टैम्पो, फोर व्हीलर, आटो रिक्शा, ट्रैक्टर आदि वाहन निर्धारित स्टैण्डों के अतिरिक्त किसी दूसरे जगह न खड़े होंगे।

8—ऐसे गाड़ी के ड्राइवर, मालिक, क्लीनर, कन्डेक्टर या इंचार्ज आगे अंकित सिड्यूल के अनुसार नगर पंचायत द्वारा नियुक्त किये गये स्थान पर गाड़ी खड़ी करने की फीस अदा करने के बाद ही गाड़ी खड़ी करेंगे। फीस अदायगी का प्रतिबंध उन सरकारी वाहनों पर न होगी जो सरकारी कार्य में प्रयोग की जाय।

9—ऐसे गाड़ी के ड्राइवर, मालिक, कन्डेक्टर या इंचार्ज गाड़ी खड़ी करने की निर्धारित फीस की रसीद अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के मांगने पर दिखलायेगा।

10—नगर पंचायत, निचलौल के अन्तर्गत किराये पर चलने वाली मोटर गाड़ियों के खड़े होने का निजी (प्राइवेट) स्टैण्ड नहीं बनाया जायेगा।

11—नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत गाड़ी खड़ी करने के लिये (निर्धारित स्थानों पर) वाहन चालक, मालिक, कन्डेक्टर, क्लीनर अथवा इंचार्ज नगर पंचायत, अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी अथवा ठेके पर है, तो नियत शुल्क अदा करेगा।

12—शिड्यूल के अनुसार नगर पंचायत लिपिक/टैक्स कलेक्टर द्वारा एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसके अन्तर्गत ब्यौरेवार सूचना मोटर गाड़ी अथवा अन्य गाड़ी के ड्राइवर, मालिक, कन्डेक्टर या इंचार्ज देगा। रजिस्टर में इस बातों के सच होने के प्रमाण स्वरूप अपने हस्ताक्षर करेगा।

13—लिपिक/टैक्स कलेक्टर द्वारा प्रत्येक रसीद का क्रमांक योग लगाया जायेगा तथा अगले दिन पिछले दिन की पूरी राशि पुस्तक से ही कार्यालय में जमा करना होगा।

14—कोई भी लारी, मीनी बस, टैम्पो, बस, ट्रक, कार और जीप आदि वाहनों को चौबिस घंटे से अधिक ठहरने का अधिकार नहीं होगा और यदि इससे अधिक (चौबीस घंटे) के बाद अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, निचलौल से आज्ञा लेना होगा।

15—नगर पंचायत, निचलौल द्वारा निर्धारित स्टैण्डों के सफाई, पानी, रोशनी की व्यवस्था नगर पंचायत, निचलौल द्वारा की जायेगी।

16–किसी भी वाहन को स्टैण्ड के अतिरिक्त खड़ा होने की इजाजत नहीं दी जायेगी। स्टैण्ड की जगह नगर पंचायत द्वारा निश्चित कर दी जायेगी।

17–कोई सवारी गाड़ी जैसे-बस, लारी, ट्रक, जीप, टैम्पो, फोर व्हीलर, आटो रिक्शा आदि नगर पंचायत सीमा में सवारियां उतारेंगे अथवा चढ़ायेंगे एवं ट्रक आदि सीमा में माल उतारेंगे अथवा चढ़ायेंगे तो उन्हें भी पार्किंग फीस देनी होगी।

वसूली दर

क्र0सं0	वाहन	वर्तमान में लागू दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	टैम्पो, आटो रिक्शा, अम्बेसडर	35.00	55.00
2	टैक्सी	50.00	75.00
3	मैक्सी व अन्य समकक्ष	60.00	85.00
4	मीनी बस व अन्य समकक्ष	100.00	135.00
5	बस व अन्य समकक्ष	120.00	155.00

18–पार्किंग फीस सम्बन्धित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, निचलौल द्वारा ही निर्णय अन्तिम व मान्य होगा और यदि सिद्ध हो जाने पर कि पार्किंग फीस में किसी तरह की चोरी की गयी है तो प्रशासक/अधिशासी अधिकारी द्वारा फीस का पच्चास गुना जुर्माना किया जा सकता है।

19–अभियोग चलाने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, निचलौल को ही प्राप्त होगा।

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी होना पाया जाय तो रु0 50.00 (पचास रुपया) प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड बढ़ता जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, निचलौल,
जनपद महराजगंज।

कार्यालय, नगर पंचायत, परतावल, जनपद महराजगंज

13 मार्च, 2021 ई0

सं0 84/न0पं0 पर0/2020-21–नगर पंचायत, परतावल, जनपद महराजगंज द्वारा नगरपालिका अधिनियम ऐक्ट 2, 1916 की धारा 298 की सूची-1 (ज) की उपधारा ''ख'' एवं ''ग'' के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, परतावल सीमान्तर्गत वाहनों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से बस/टैक्सी/ अन्य वाहन की पार्किंग फीस वसूली हेतु नियमावली, 2021 तैयार कर प्रतिस्थापित की गयी है। जिसको प्रशासक नगर पंचायत, परतावल ने अपने आदेश दिनांक 08 फरवरी, 2021 द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से सुझाव/शिकायत/संशोधन कराये जाने हेतु समाचार-पत्र ''दैनिक जागरण'' व ''आज'' दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 फरवरी, 2021 को प्रकाशित कराया गया, निर्धारित अवधि 30 दिन के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार तैयार किये गये नियमावली को पृष्टीकृत माना जाता है।

नियमावली

(क) संक्षिप्त नाम–यह नियमावली नगर पंचायत, परतावल, जनपद महराजगंज के बस/टैक्सी/अन्य वाहन स्टैण्ड/पार्किंग फीस नियमावली, 2021 कहलायेगी।

(ख) प्रसार–इस नियमावली को प्रसार नगर पंचायत, परतावल की सम्पूर्ण सीमा (समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित) में होगी।

(ग) परिभाषायें–

1–''नगर पंचायत, परतावल'' का तात्पर्य नगर पंचायत, जनपद महराजगंज से है।

2–''प्रशासक'' का तात्पर्य नगर पंचायत, परतावल के प्रशासक से है।

3–''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, परतावल में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

4–''नगरपालिका अधिनियम'' का तात्पर्य यू0पी0 नगरपालिका अधिनियम ऐक्ट, 02, 1916 तथा उसमें समय-समय पर संशोधित अधिनियम से है।

5–''कर्मचारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत, परतावल में नियुक्त स्थायी/अस्थायी/दैनिक/संविदा/आउट सोर्सिंग रूप से नियुक्त/कार्यरत कर्मचारी से है।

6–''ठीकेदार'' का तात्पर्य नगर पंचायत, परतावल द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत पार्किंग फीस वसूल किये जाने वाले अधिकृत ठीकेदार से है।

(घ) प्रभाव–यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगा।

उपनियम

1–नगर पंचायत सीमान्तर्गत कोई भी वाहन (शासकीय वाहनों अथवा निजी प्रयोग हेतु सवारी वाहनों को छोड़कर) सवारी चढ़ायेगा/उतारेगा उसे नगर पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर पार्किंग फीस का भुगतान देकर रसीद प्राप्त करना होगा।

2–कोई भी सवारी वाहन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान/स्टैण्ड पर ही खड़ा कर सवारी भरेगा या उतारेगा।

3–नगर पंचायत सीमान्तर्गत किसी व्यक्ति/समूह द्वारा किराये पर चलने वाले सवारी गाड़ियों के लिये कोई अलग से स्टैण्ड/पार्किंग स्थल नहीं बनाया जायेगा।

4–पार्किंग फीस अदा कर के रसीद लेने का दायित्व सम्बन्धित वाहन चालक/परिचालक/मालिक अथवा क्लीनर की होगी।

5–पार्किंग फीस की वसूली नगर पंचायत, परतावल द्वारा अधिकृत ठीकेदार या नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा की जायेगी।

6–नगर पंचायत, परतावल के अधिशासी अधिकारी तथा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के जांच के समय वाहन के चालक/परिचालक/मालिक द्वारा रसीद प्रस्तुत की जायेगी। उचित रसीद न प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल 20 गुना अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

7–यदि पार्किंग फीस की वसूली ठेके पर है तो नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा जांच के समक्ष ठीकेदार/अधिकृत कर्मचारी द्वारा रसीदों की जांच करानी होगी।

8–नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा वसूली ठेके की स्थिति में कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक द्वारा जारी रसीदों पर ही वसूली करनी होगी एवं प्रति दिन की वसूली कार्यालय में जमा करनी होगी।

9–नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्टैण्ड/पार्किंग स्थल पर पेयजल, सफाई, प्रकाश एवं अन्य यात्री सुविधायें उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु किसी समय आंशिक असुविधा के कारण वसूली प्रभावित नहीं होगी।

10–नगर पंचायत प्रशासन द्वारा निषिद्ध (नो इन्ट्री) घोषित किये जाने वाले स्थानों पर निर्धारित समय/क्षेत्र में किसी वाहन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित होगा।

11–अभियोजित सवारी गाड़ियों के ऊपर अभियोग चलाने/चालान करने का अधिकार प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, परतावल को होगा।

12–वसूली/दरों में किसी विवाद उत्पन्न होने की दशा में नियमावली में वर्जित उप नियमों के अधीन प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, परतावल द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

स्टैण्ड/पार्किंग फीस की सूची

		रु0
1–प्राईवेट बस	–	155.00 प्रतिदिन
2–मिनी बस	–	100.00 प्रतिदिन
3–पिकअप	–	60.00 प्रतिदिन
4–जीप/टैक्सी	–	75.00 प्रतिदिन
5–टैम्पो	–	50.00 प्रतिदिन
6–ट्रक	–	155.00 प्रतिदिन
7–मिनी ट्रक/डी0सी0एम0	–	65.00 प्रतिदिन
8–व्यवसायिक प्रयोग वाले ट्रैक्टर ट्राली	–	50.00 प्रतिदिन
9–टाटा मैजिक	–	50.00 प्रतिदिन

दण्ड

नगर पंचायत, परतावल बस/टैक्सी/अन्य वाहन स्टैण्ड/पार्किंग फीस नियमावली, 2021 के किसी धारा या भाग की अवहेलना किये जाने पर नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

देवेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, परतावल,
जनपद महराजगंज।

NOTICE OF WITHDRAWAL
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
ORIGINAL JURISDICTION
ELECTION PETITION NO 02 OF 2019

(U/s 110 (3) (b) of the R.P.Act 1951)

Adesh Tyagi……..**Petitioner**

Versus

Dr. Mahesh Sharma…….**Respondent**

Election Petition against the election of Dr. Mahesh Sharma to the House of People General Election, 2019 from the 13, Gautam Budh Nagar Parliamentary Constituency.

Whereas an Election Petition had been presented to this court by the above named petitioner in which he has made the withdrawal application and that the said application is allowed and this petition is dismissed as withdrawn vide Hon'ble Court's order dated 12th day of February, 2021.

Any one or other person desires of supporting or opposing the order/decision on the said Election Petition, should appear before the court within 14 days from publication of this notice in the Gazette in view of Section 110 (3) (c) of the Representation of People Act, 1951, for the purpose, in person or by his advocate.

Take notice that in default of entering appearance by anyone on within said time, the election petition shall be considered finally disposed off.

Given under my hand and the seal of the Court this 26th day of February, 2021.

Date : 26-02-2021

By order,
(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Deputy Registrar,
High Court, Allahabad.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स जी0एस0आर0 इण्डस्ट्रीज, 187-188-189, नोएडा स्पेशल ईकोनोमिक जोन, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर 201305 की साझीदारी में श्री गुरदयाल सिंह रन्धावा, श्री राजदीप सिंह एवं श्रीमती हरजीत कौर साझीदार थे। दिनांक 11 फरवरी, 2017 को श्री गुरदयाल सिंह रन्धावा जी का स्वर्गवास हो चुका है एवं श्रीमती शमिन्दर कौर फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुई है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को श्री मोहदीप सिंह फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए है एवं श्रीमती हरजीत कौर फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गई है। फर्म में अब श्री राजदीप सिंह, श्रीमती शमिन्दर कौर एवं श्री मोहदीप सिंह साझीदार होंगे। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजदीप सिंह
साझीदार
मैसर्स जी0एस0आर0 इण्डस्ट्रीज
187-188-189, नोएडा स्पेशल ईकोनोमिक जोन,
नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर-201305।

NOTICE

I am Gulshana daughter Akhlak, Village-Dariyapur Mawana, Meerut After marriage, I have changed my name from Gulshana to Sapna wife Sachin Kumar Village Dariyapur Mawana meerut. Both of these names are mine. In future I shall be known as Sapna.

सपना।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हेम लता पत्नी संदीप महावर व निधि महावर पत्नी अतुल महावर, निवासिनी विजय लक्ष्मीनगर, शहर सीतापुर की हूं। यह कि हम दोनों "युनाईटेड पेंग्विन इन्टरटेन्मेन्ट" हरदोई रोड, सीतापुर की भागीदार थी परन्तु हम दोनों पक्षकार/साझेदार ने उक्त फर्म से भविष्य में कोई लेना-देना व वास्ता सरोकार नहीं होगा। अब उक्त फर्म से पुलकित सिंघानियां पुत्र महेश प्रकाश सिंघानियां, नि0 हरदोई रोड सीतापुर, तरुण महावर पुत्र विजय कुमार महावर, नि0 विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर, अतुल महावर पुत्र प्रहलाद राय, नि0 विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर, रितु सहगल पत्नी कुश नारायण सहगल, नि0 लोहारबाग सीतापुर, संदीप महावर पुत्र स्व0 मदनलाल, नि0 विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर, उक्त फर्म के पांचो भागीदार रहेंगे मुझे आपत्ति व ऐतराज नहीं होगा।

निधि महावर,
पत्नी अतुल महावर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 रूद्र इन्टर प्राइजेज, ग्राम अमिलियापाल, पोस्ट देवघाट, तह0 कोरांव प्रयागराज में साझेदार श्री ज्ञानेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री दया शंकर पाण्डेय, निवासी ग्राम अमिलियापाल, पोस्ट देवघाट तह0 कोरांव प्रयागराज एवं श्री रमाशंकर पाठक पुत्र स्व0 रामबक्शीश पाठक, निवासी ग्राम बाभन पट्टी बेलहट कोरांव, प्रयागराज फर्म में साझीदार थे। श्री रमा शंकर पाठक फर्म से रिटायर हो रहे हैं तथा श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री दया शंकर पाण्डेय, निवासी ग्राम अमिलियापाल, पोस्ट देवघाट कोरांव, प्रयागराज, दिनांक 10 मार्च, 2021 को फर्म में सम्मिलित हुई हैं।

ज्ञानेश कुमार पाण्डेय,
साझेदार,
मे0 रूद्र इन्टरप्राजेज,
ग्राम अमिलियापाल, पोस्ट देवघाट,
कोरांव, प्रयागराज।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स एन0एफ0 इन्फ्रा, तृतीय तल साइबर हाइट्स टी0सी0/जी-2/2 एण्ड टी0सी0/जी-5/5 विभूति खण्ड, गोमतीनगर, जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें तीन साझेदार फिरदौस खान इकराम उल्लाह एवं श्री भवन रावत साझेदारी थे, जिसमें दो साझेदार इकराम उल्लाह एवं श्री भवन रावत फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक निकल रहे हैं तथा फर्म में एक साझेदार श्री सन्तोष कुमार यादव पुत्र रमाकान्त यादव, पता फ्लैट नं0 203, सेकेण्ड फ्लोर गैंडियर अपार्टमेन्ट-4, 93-डी, जियामऊ, लखनऊ फर्म की साझेदारी में शामिल हो रहे हैं जिसकी सूचना दी जा रही है।

फिरदौस खान,
साझेदार,
एन0एफ0 इन्फ्रा, जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स सिद्ध एन्टरप्राईजेज, सी-258, सेक्टर-10, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201301 की साझीदारी में श्री राजेश कुमार

शर्मा, डा0 राजीव कुमार शर्मा, श्री राम कुमार शर्मा, श्रीमती विमला शर्मा एवं श्रीमती सुमन शर्मा साझीदार थे। दिनांक 04 जुलाई, 2012 को श्री राजेश कुमार शर्मा जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा दिनांक 04 जुलाई, 2012 को ही श्री अंकित शर्मा फर्म की साझीदारी में सम्मिलित किये गये हैं। अब वर्तमान में डा0 राजीव कुमार शर्मा, श्री राम कुमार शर्मा, श्रीमती विमला शर्मा, श्रीमती सुमन शर्मा एवं श्री अंकित शर्मा साझीदार हैं तथा वर्तमान में फर्म के साझेदार डा0 राजीव कुमार शर्मा का पता ए-144, सेक्टर-55, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, श्री राम कुमार शर्मा का पता ग्राम व घियोट सथाना, पोस्ट सथाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश), श्रीमती विमला शर्मा का पता ग्राम व घियोट सथाना, पोस्ट सथाना, तहसील फतेहपुर, जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश) एवं श्रीमती सुमन शर्मा का पता म0नं0 71, लेन-07, ग्रेटर कैलाश, जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर) परिवर्तित हो गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

डा0 राजीव कुमार शर्मा,
साझीदार,
मेसर्स सिद्ध एन्टरप्राईजेज,
सी-258, सेक्टर-10, नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर-201301।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री तिरूपति कन्सट्रक्शन, बी0-16 विवेक विहार गली डा0 सहगल शास्त्री नगर सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन सहायक निबन्धक फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर से दिनांक 05 जून, 2009 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में नरेश कुमार व अशोक कुमार मित्तल पार्टनर थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को फर्म से श्री अशोक कुमार मित्तल स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गये और फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को ही श्रीमती मीना त्यागी, श्री आशीष त्यागी व श्री अमित कुमार नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में नरेश कुमार, श्रीमती मीना त्यागी, मैं आशीष त्यागी व श्री अमित कुमार पार्टनर रह गये हैं।

आशीष त्यागी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स पंडित आटो सर्विस, भूड क्रासिंग, जी0टी0 रोड, बुलन्दशहर–203001 की साझीदारी में श्री अशोक कुमार गौड एवं श्री मनोज कुमार गौड साझीदार थे। दिनांक 01 जनवरी, 2010 को साझीदार श्री अशोक कुमार गौड का नाम व पता परिवर्तित कर "श्री अशोक पंडित, 114, ईटा रोडी, बुलन्दशहर" हो गया है। दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 को श्री शान्तनु गौड एवं श्री शिवी पंडित फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं तथा दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 श्री मनोज कुमार गौड जी का स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान में फर्म की साझीदारी में श्री अशोक पंडित, श्री शान्तनु गौड एवं श्री शिवी पंडित साझीदार है तथा दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार साझीदार श्री अशोक पंडित का पता स्थान "मेघदूत सी रूम नं0-205, सेकेण्ड फ्लोर, लोखण्डवाला, अपोजिट जोर्ग्गेस पार्क, स्वामी समर्थ नगर, आजाद नगर, मुम्बई–400053" है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अशोक पंडित,
साझीदार,
मेसर्स पंडित आटो सर्विस,
भूड क्रासिंग, जी0टी0 रोड,
बुलन्दशहर-203001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 मंगलम फिलिंग स्टेशन 60 स्टेनली रोड, प्रयागराज, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को विघटित कर दी गयी है। जिसमें प्रथम पार्टनर शशि कुमार वैश्य पुत्र श्री राम जी वैश्य, निवासी 86 नया बैरहना, प्रयागराज तथा द्वितीय पार्टनर विनय कुमार पुत्र श्री संजय कुमार, निवासी 5डी/2यू0 बेली रोड, प्रयागराज थे। फर्म में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की लेनदारी व देनदारी नहीं है। उक्त फर्म के साझेदारों को उक्त विघटन में कोई आपत्ति नहीं है।

शशि कुमार वैश्य,
साझेदार,
मे0 मंगलम फिलिंग स्टेशन,
60 स्टेनली रोड, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाई स्कूल के अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र में मेरा नाम संजय कुमार लिखा है। अन्य सभी कागजात में संजय कुमार पाण्डेय लिखा है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में मुझे संजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री कालिका प्रसाद पाण्डेय, निवासी बरई हरख, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज के नाम से जाना व पहचाना जाय।

संजय कुमार पाण्डेय।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आफिस डाकूमेन्ट में मेरा नाम अश्वनी कुमार त्रिपाठी (ASHWANI KUMAR TRIPATHI) दर्ज है, लेकिन मेरे सभी शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम अश्विनी कुमार त्रिपाठी (ASHWINI KUMAR TRIPATHI) दर्ज है। अतः मुझे अश्विनी कुमार त्रिपाठी के नाम से लिखा पढ़ा जाना और पहचाना जाय।।

अश्विनी कुमार त्रिपाठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वेदल पेस्ट कन्ट्रोल सर्विसेज प्रधान कार्यालय 80ए भाभा नगर कालोनी, सनिगवा रोड, कानपुर-21 पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में साझीदार 1–शशांक चतुर्वेदी, 2–संतोष कुमार उपाध्याय, 3–लल्लन यादव थे। दिनांक 18 जनवरी, 2021 की डीड के अनुसार 1–शशांक चतुर्वेदी, 3–लल्लन यादव स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। दिनांक 18 जनवरी, 2021 को नीरज चतुर्वेदी शामिल हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में हम दोनों का नाम पार्टनर शिप में है।

पूर्व में फर्म का नाम वेदल पेस्ट कन्ट्रोल सर्विसेज बदल कर वेदल सर्विसेज कर दिया गया है।

संतोष कुमार उपाध्याय,
साझीदार,
वेदल पेस्ट कन्ट्रोल सर्विसेज,
80ए भाभा नगर कालोनी,
सनिगवा रोड, कानपुर-21।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पदम कन्सट्रक्शन, पता 2/27, श्रद्धापुरी, फेस-1, कंकरखेडा, मेरठ की पार्टनर्सशिप 02 अप्रैल, 2003 को हुई थी, डीड दिनांक 07 अप्रैल, 2012 के अनुसार इसमें क्रमशः चार साझेदार श्री उधम सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह, श्री मदन सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह, श्रीमती अशोक पत्नी श्री उधम सिंह, श्रीमती अनिता पत्नी श्री मदन सिंह थे। दिनांक 18 जनवरी, 2015 को उधम सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह की मृत्यु होने के कारण फर्म से अलग किया जा रहा है तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नहीं है तथा पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से इस फर्म में क्रमशः तीन साझेदार ही रहेंगे।

1–श्रीमती अनिता पत्नी श्री मदन सिंह, 2–श्री मदन सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, 3–श्रीमती अशोक पत्नी श्री उधम सिंह साझेदार है।

मदन सिंह,
साझेदार,
मेसर्स पदम कन्सट्रक्शनस,
2/27, श्रद्धापुरी, फेस-1,
कंकरखेडा, मेरठ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे फर्म पदम श्री गैस सर्विस कटरा, बाजीराव, मीरजापुर में श्री आशीष अग्रवाल और अपूर्व बंसल दो साझीदार थे। श्री आशीष अग्रवाल ने स्वेच्छा से उक्त फर्म से अपनी साझीदारी समाप्त कर लिया है। लिहाजा फर्म का पूर्ण स्वामित अपूर्व बंसल के पास है।

अपूर्व बंसल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म शिवम इन्जीनियरिंग वर्कस पता सी 804 सुपरटेक रामेश्वर और्चिड कौशाम्बी, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की पार्टनर शिप 23 अगस्त, 2017 को हुई थी जिसमें पहले दो पार्टनर थे (1) श्री गगन गुप्ता पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता (2) श्री अरविन्द बसंल पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल थे। दिनांक 01 जनवरी, 2021 की साझेदारी के अनुसार श्री गगन गुप्ता पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नहीं है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2021 को नये साझेदार श्री वैभव बंसल पुत्र श्री अरविन्द बंसल स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आये हैं तथा अब इस फर्म में अब क्रम से 1 श्री अरविन्द बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, 2–वैभव बसंल पुत्र श्री अरविन्द बंसल हो गये है। दिनांक 01 जनवरी, 2021 की साझीदारी के अनुसार फर्म का पता सी 804 सुपरटेक रामेश्वर और्चिड कौशाम्बी, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बदल कर के0सी0 137 कवि नगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो गया है तथा कार्य क्षेत्र का पता बी एन 62, 65 मसूरी गुलावटी रोड फेस 3 यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, हापुड, उत्तर प्रदेश हो गया है।

अरविन्द बंसल,
साझेदार,
शिवम इन्जीनियरिंग वर्कस,
के0सी0 137 कवि नगर,
जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जयसवाल फारवर्डिंग एजेन्सी स्थित गोला रोड, बिलसण्डा, पोस्ट बिलसण्डा, जिला पीलीभीत, उ0प्र0, पिनकोड-262202 (पंजीकरण संख्या बी-10861) फर्म में कुल 2 साझेदार पंकज कुमार जायसवाल एवं सुनील कुमार सक्सेना थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 26 फरवरी, 2021 को फर्म में एक नया साझेदार श्रीमती शिवानी जायसवाल शामिल की गयी हैं तथा फर्म के एक साझेदार सुनील कुमार सक्सेना फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 26 फरवरी, 2021 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदार का फर्म पर या साझेदारों पर तथा फर्म का साझेदार पर कोई लेने-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 2 साझेदार पंकज कुमार जायसवाल व श्रीमती शिवानी जायसवाल हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

पंकज कुमार जायवाल,
साझेदार,
मेसर्स जयसवाल फारवर्डिंग एजेन्सी,
पीलीभीत (उ0प्र0)।

पी0एस0यू0पी0–51 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।